

भारतीय सेवा क्षेत्र का, 2000 की द्वितीय छःमाही में दो अंकों के विकास के साथ तेजी से विस्तार हुआ। चूंकि यूरो-जोन संकट बढ़ चुका है, अतः विकास धीमा पड़ गया है, फिर भी यह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्रों से अधिक उच्चतर दर पर विकास कर रहा है।

10.2 सेवा क्षेत्र में कई क्षेत्रों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के व्यापक क्रियाकलाप शामिल हैं। दूर संचार, अंतरिक्ष यान मैपिंग और कम्प्यूटर साफ्टवेयर जैसे जटिल क्षेत्रों से लेकर नाई, बढ़ई और पलम्बर की साधारण सेवाएं, नागर विमानन और जहाजरानी जैसे उच्च पूंजीगत क्रियाकलापों से लेकर पर्यटन, भू-सम्पदा और आवास जैसे रोजगारोन्मुखी क्रियाकलाप, रेलवे, रोडवेज और बंदरगाह जैसे आधार-भूत संरचना सम्बद्ध क्रियाकलापों से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र संबंधी क्रियाकलाप शामिल हैं। अतः सेवाओं की सभी परिभाषाओं में, एक परिभाषा नहीं बन सकती जिसके परिणामस्वरूप कुछ सेवाएं आपस में मिलती जुलती हैं और किन्हीं का आपस में समावेशन है। सेवा क्षेत्र के राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण में व्यापार, होटल और रैस्तरां; परिवहन, भण्डारण और संचार; वित्त पोषण, बीमा, भू-सम्पदा और कारोबारी सेवाएं और समुदायिक, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं समाविष्ट हैं। विश्व व्यापार संगठन की सेवाओं की सूची में और भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकरण में, निर्माण कार्य भी शामिल हैं।

सेवा सकल घरेलू उत्पाद : अन्तरराष्ट्रीय तुलना

10.3 वर्ष 2011 में 70.2 ट्रिलियन यू.एस. डालर के विश्व सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा 67.5 प्रतिशत था जो 2001 के बराबर ही था। यह रोचक है कि सेवा सकल घरेलू उत्पाद की शतों के अनुसार सर्वोच्च 15 देश, वर्ष 2011 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद के 15 सर्वोच्च देशों में भारत का समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 9वां स्थान तथा सेवा सकल घरेलू उत्पाद में 10वां स्थान

है। 11 वर्ष की अवधि में 15 सर्वोच्च देशों के सेवा निष्पादन की तुलना यह दर्शाती है कि सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं के हिस्से की बढ़ोतरी भारत की सबसे अधिक है (81.1% बिन्दु) तथा इसके बाद स्पेन का स्थान है। जबकि चीन की उच्च सेवाओं की संग्रहण की 11.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ इस अवधि के लिए उसकी सेवाओं के हिस्से में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। बल्कि भारत की उच्च सेवाओं की संग्रहण की 9.2% की वार्षिक वृद्धि दर जो कि दूसरे नम्बर पर थी, इसके हिस्से में भी काफी परिवर्तन हुआ। यह चीन में इसके विकास में सेवाओं के साथ औद्योगिक क्षेत्र के प्रबल होने का परिचायक है जबकि भारत का विकास मुख्यतः सेवा क्षेत्र के कारण प्रबल हुआ है (अध्याय 2 ज़ी देखें) भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का उच्चतर हिस्सा और सेवा सकल घरेलू उत्पाद की सम्पूर्ण लागत तथा सेवाओं में विकास के अनुसार उद्योग की सेवाओं पर चीन में प्रबलता के संबंध में चीन अभी भी भारत से आगे है। (दशाब्दी तथा वर्ष 2001, 1010 तथा 2011 तालिका 10.9 के अनुसार)

10.4 2012 के देश के अनुमान, कुछ देशों में सेवाओं के विकास में गिरावट दर्शाते हैं, उदाहरण के तौर पर यू.एस.ए. में यह वर्ष 2011 के 0.9% की तुलना में गिरकर वर्ष 2012 में 0.5% हो गया, चीन में वर्ष 2011 के 9.4% की तुलना में वर्ष 2012 में 8.1%, भारत में वित्त वर्ष 2011-12 के 8.2% की तुलना में वित्त वर्ष 2012-13 में 8.2%। ब्राजील में सेवा क्षेत्र, पूर्व वर्ष की तदनुसारी अवधि के 2.1% की तुलना में वर्ष 2012 की क्यू 3 में बढ़ कर 1.4% हो गया।

सारणी 10.1 : सेवाओं का कार्य निष्पादन: अंतर-राष्ट्रीय तुलना

देश	रैंक	समग्र सकल घरेलू उत्पाद (बिलियन अमरीकी डॉलर)		सेवाओं का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद का (%)			2001 की तुलना में 2011 अंश परिवर्तन	सेवा का विकास दर (प्रतिशत)			सीएनजीआर 2001-11	
		समग्र जीडीपी	सेवाएं जीडीपी	वर्तमान कीमतों पर 2011	सतत कीमतों पर 2011	2001		2010	2011	2001		2010
1. संयुक्त राज्य	1	1	14991.3	13225.9	77.0	78.3	78.4	1.4	2.9	2.5	5.1	2.1
2. चीन	2	3	7203.8	4237.0	40.6	41.9	41.7	1.1	10.4	9.9	8.9	11.1
3. जापान	3	2	5870.4	4604.1	70.6	69.9	70.5	-0.1	1.8	1.1	0.6	0.4
4. जर्मनी	4	4	3604.1	3048.7	70.0	70.8	70.0	0.0	2.5	1.0	1.9	1.3
5. फ्रांस	5	5	2775.5	2240.5	76.8	79.0	79.2	2.4	1.8	1.9	2.1	1.4
6. ब्राजील	6	8	2476.7	1126.4	65.4	66.2	66.5	1.1	1.8	5.0	3.1	3.8
7. यूके	7	6	2429.2	2381.1	74.0	76.4	76.0	2.0	3.8	1.1	1.2	2.3
8. इटली	8	7	2195.9	1773.1	70.9	73.1	73.1	2.2	2.6	1.4	0.7	0.6
9. भारत	9	10	1897.6	1322.7	50.1	56.8	58.2	8.1	7.5	9.4	7.4	9.2
10. रूस	10	13	1857.8	947.2	56.3	62.4	62.1	5.8	3.3	3.9	3.6	5.5
11. कनाडा	11	9	1736.9	1233.5	65.0	69.9	69.7	4.7	3.5	2.6	2.2	2.7
12. आस्ट्रेलिया	12	11	1515.5	894.5	67.9	69.0	69.2	1.3	3.9	2.3	3.6	3.3
13. स्पेन	13	12	1478.2	1183.8	63.7	69.8	70.0	6.3	3.6	1.2	1.2	2.8
14. मैक्सिको	14	14	1155.2	956.8	61.4	63.8	64.2	2.8	1.2	5.4	5.0	2.9
15. द. कोरिया	15	15	1116.2	1056.1	60.5	57.0	56.6	-3.9	4.4	3.9	2.7	3.5
विश्व			70201.9	52667.7	68.2	67.6	67.5	-0.7	2.8	2.9	3.6	2.6

स्रोत : 04 जनवरी, 2013 को एकत्र किए गए यूएन० राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी से संगणित।

टिप्पणी : रैंक, चालू कीमतों पर आधारित है, हिस्सा स्थिर कीमतों पर आधारित (यूएस० डॉलर), विकास दर स्थिर कीमतों पर आधारित है (यूएस० डॉलर), सीएनजीआर का आकलन वर्ष 2001-11 के लिए किया गया है। सेवा सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।

10.5 रोजगार में सेवाओं की हिस्सेदारी, कई विकसित देशों में काफी अधिक है और कई मामलों में आय में सेवाओं के हिस्से से भी अधिक है, इस हिस्सेदारी के बीच का अंतर अपेक्षाकृत कम है। चीन और भारत को छोड़कर, सभी अन्य बी०आर०आई०सी०एस० देशों का इसी प्रकार का रुझान है। भारत और चीन के मामले में, दोनों के बीच काफी अन्तराल है तथा भारत के मामले में यह और भी अधिक है। आय और रोजगार दोनों के क्षेत्र में चीन की सेवाओं में हिस्सेदारी, औद्योगिक क्षेत्र के प्रबल होने के कारण सापेक्षतः कम है, अपितु यह अन्तराल भारत से कम है (सारणी 10.2)

10.6 विश्व सेवाएं निर्यात विकास 1990 के दौरान 6.6% के मुकाबले 2000-2008 के दौरान बढ़ कर 12.6% हो गया। सेवाओं के विश्व निर्यात का विकास जो वर्ष 2008 की पार्श्विक आर्थिक तंगी के कारण कम होकर-11.1% हो गया था, वर्ष 2010 में तेजी से 10% बढ़ गया तथापि यूएस० डॉलर 38.4 ट्रिलियन के वर्ष 2008 के पूर्व तंगी का स्तर प्राप्त हो गया तथा वर्ष 2011 में दो वर्ष के पश्चात् ही ठीक हो पाया जब विश्व सेवाएं निर्यात 11% की विकास

दर से 4.17% ट्रिलियन यूएस० डॉलर पहुंच गया। यूरो ज़ोन संकट और पार्श्विक तंगी ने वर्ष 2012 में सेवा व्यापार को भी प्रभावित किया। विश्व सकल घरेलू उत्पाद विकास और वाणिज्यिक व्यापार के परिप्रेक्ष्य में, वाणिज्यिक सेवाओं का विश्व व्यापार, 5% की विकास दर से वर्ष 2011 की क्यू 4 में कम होना शुरू हो गया जो वर्ष 2012 के क्यू 1 में 5% हो गया, वर्ष 2012 के क्यू 2 में 0% तथा वर्ष 2012 के क्यू 3 में 2% हा गया (अध्याय-7 : अन्तरराष्ट्रीय व्यापार भी देखें)

10.7 विश्व सेवाएं क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2009 तथा 2010 में तीव्र गति से कम होने के पश्चात्, पिछले वर्ष के मुकाबले 15% की दर दर्ज करते हुए वर्ष 2011 में ऊपर उठ गया तथा 5700 बिलियन यूएस० डॉलर पहुंच गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश गैर-वित्तीय सेवाएं हैं जो कि कुल का 85% है, जो बिजली, गैस और पानी तथा परिवहन एवं संचार को लक्ष्य बनाते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बढ़ने के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे बढ़ गया। वित्तीय सेवाओं में वर्ष 2011 में एफ०डी०आई० परियोजनाओं की कीमत में 13% बढ़ोतरी दर्ज होकर 80 बिलियन यूएस० डॉलर हो गई जो कि यद्यपि वर्ष

2005-2007 की पूर्व तंगी की औसत से 50% कम थी। बैंकिंग के एफ॰डी॰आई॰ के प्रोजेक्ट पारिविक वित्तीय तंगी के कारण मंद हो गए। यूरोपीय बैंक, जो एफ॰डी॰आई॰ के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय प्रसार के अग्रणी थे, इस समय अल्पस्थित थे तथा उनमें अधिक संख्या में सरकारी नियंत्रण में थे। वर्ष 2012 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने पारिविक पर एफ॰डी॰आई॰ ने 1.3 ट्रिलियन यू॰एस॰ डॉलर पर 18% की गिरावट का अनुमान लगाया तथा वर्ष 2013-14 में हल्की पुनः प्राप्ति का पूर्वानुमान लगाया।

भारतीय सेवा क्षेत्र

10.8 भारतीय सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्यों की आय, व्यापार प्रवाह, एफ॰डी॰आई॰ इनफ्लो और रोजगार में इसके योगदान के अनुसार प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया है।

सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद


10.9 वर्ष 2000 में समग्र और विश्व तथा भारतीय सेवाओं के विकास की कहानी वर्ष 2000 में ही लगभग 4-5% के एक से स्तर से आरंभ हुई। अपितु कुछ वर्षों में भारत की समग्र तथा सेवाओं की विकास दर ने विश्व को पीछे कर दिया है। यह रोचक है कि विश्व को पीछे कर दिया है। यह रोचक है कि विश्व सेवाओं का विकास, जो कुछ वर्षों में विश्व के समग्र विकास के थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होने के कारण इसके आगे-पीछे चल रहा है, से भिन्न भारत की सेवाओं का विकास, पिछली दशाब्दी में इसके समग्र विकास से निरंतर अधिक रहा है (वर्ष 2003 को छोड़कर जब सेवा क्षेत्र, समग्र विकास क्षेत्र से थोड़ा सा कम था) अतः एक दशाब्दी से अधिक समय से यह पोट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को अत्यधिक स्थिरता से आगे बढ़ा रहा है। (आकृति 10.1)

10.10 अग्रिम अनुमान के अनुसार घटक लागत पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा 1950-51 में 33.3% के

मुकाबले बढ़कर वर्ष 2012-13 में 56.5% हो गया। निर्माण कार्य को शामिल करते हुए यह हिस्सा वर्ष 2012-13 में बढ़कर 64.8% हो जाएगा। 18% हिस्से के रूप में व्यापार, होटल और रेस्तरां एक समूह के रूप में विभिन्न सेवा उप क्षेत्रों सहित सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करते हैं तथा इनके पश्चात् वित्त पोषण, बीमा, भू-संपत्ति और कारोबारी सेवाओं की बारी आती है जिनका हिस्सा 16.6% है। इन दोनों सेवाओं ने पिछले कुछ वर्षों में अपने-अपने हिस्से में बोध गम्य सुधार दर्शाया। सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिक सेवाएं जिनका हिस्सा 14% है, तृतीय स्थान पर आते हैं। निर्माण कार्य जो सेवाओं में समावेश के समीप है, चौथे स्थान पर आता है तथा इसका हिस्सा 8.2% है (सारणी 10.2)

10.11 वर्ष 2004-05 से 2011-12 की अवधि के संबंध में सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद की 10% की सीएजीआर, इसी अवधि की समग्र सकल घरेलू उत्पाद की 8.5% की सीएजीआर से अधिक थी तथापि वर्ष 2011-12 और 2012-13 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर कम होकर क्रमशः 8.2% और 6.6% हो गई। सेवाओं की मुख्य बड़ी श्रेणियों अर्थात् “वित्त पोषण, बीमा और भूसम्पदा और कारोबारी सेवाएं” जिनका वर्ष 2010-11 और 2011-12 में अत्यधिक विकास हुआ, वर्ष 2012-13 में मंद होकर 8.6% रह गई। जबकि वर्ष 2011-12 में “व्यापार, होटल और रेस्तरां” तथा “परिवहन, भण्डारण और संचार” में क्रमशः वृद्धि कम होकर 6.2% और 8.4% रह गई तथा वर्ष 2012-13 में “व्यापार, होटल और रेस्तरां” तथा “परिवहन, भण्डारण और संचार” में सम्मिलित रूप से 5.2% की वृद्धि हुई।

10.12 हिस्सेदारी के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं में उपक्षेत्रवार मुख्य सेवाएं हैं—व्यापार, अन्य साधनों वाला परिवहन, (रेलवे को छोड़कर) बैंकिंग और बीमा तथा मकानों का भू-सम्पदा स्वामित्व तथा निर्माण के अतिरिक्त कारोबारी सेवाएं। वर्ष 2011-12 में



स्रोत : 2 फरवरी 2013 को मूल्यांकित यू.एन. नेशनल लेखा आंकड़ों पर आधारित

सारणी 10.2 : भारतीय सेवा क्षेत्र का हिस्सा और विकास

	(per cent)								
	2000-01	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 [^]	2010-11 [@]	2011-12 [*]	2012-13 ^{**}
व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	14.6	16.7	17.1	17.1	16.9	16.5	17.2	18.0	25.1#
	(5.2)	(12.2)	(11.1)	(10.1)	(5.7)	(7.9)	(11.5)	(6.2)	(5.2)
व्यापार	13.3	15.1	15.4	15.4	15.3	15.1	15.7	16.6	
	(5.0)	(11.6)	(10.8)	(9.8)	(6.7)	(8.5)	(11.5)	(6.5)	
होटल एवं रेस्तरां	1.3	1.6	1.7	1.7	1.5	1.4	1.5	1.5	
	(7.0)	(17.4)	(14.4)	(13.0)	(-3.3)	(1.9)	(10.8)	(2.8)	
परिवहन, भंडारण और संचार	7.6	8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	7.3	7.1	
	(9.2)	(11.8)	(12.6)	(12.5)	(10.8)	(14.8)	(13.8)	(8.4)	
रेलवे	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	
	(4.1)	(7.5)	(11.1)	(9.8)	(7.7)	(8.8)	(5.9)	(7.5)	
अन्य साधनों से परिवहन	5.0	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3	5.3	5.4	
	(7.7)	(9.3)	(9.0)	(8.7)	(5.3)	(7.3)	(8.2)	(8.6)	
भंडारण	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
	(6.1)	(4.7)	(10.9)	(3.4)	(14.1)	(19.3)	(2.2)	(9.4)	
संचार	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	0.9	
	(25.0)	(23.5)	(24.3)	(24.1)	(25.1)	(31.5)	(25.4)	(8.3)	
वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और व्यापार सेवाएं	13.8	14.5	14.8	15.1	15.9	15.8	16.0	16.6	17.2
	(4.5)	(12.6)	(14.0)	(12.0)	(12.0)	(9.7)	(10.1)	(11.7)	(8.6)
बैंकिंग एवं बीमा	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.4	5.6	5.7	
	(-2.4)	(15.8)	(20.6)	(16.7)	(14.0)	(11.4)	(14.9)	(13.2)	
स्थावर संपदा, आवासीय एवं व्यापार सेवाओं का स्वामित्व	8.7	9.1	9.3	9.6	10.3	10.4	10.4	10.8	
	(7.5)	(10.6)	(9.5)	(8.4)	(10.4)	(8.3)	(6.0)	(10.3)	
संचार, सामाजिक एवं निजी सेवाएं	14.8	13.5	12.8	12.5	13.3	14.5	14.0	14.0	14.3
	(4.6)	(7.1)	(2.8)	(6.9)	(12.5)	(11.7)	(4.3)	(6.0)	(6.8)
लोक प्रशासन एवं रक्षा	6.6	5.6	5.2	5.1	5.8	6.6	6.1	6.1	
	(1.9)	(4.3)	(1.9)	(7.6)	(19.8)	(17.6)	(0.0)	(5.4)	
अन्य सेवाएं	8.2	7.9	7.6	7.4	7.5	7.8	7.9	7.9	
	(7.0)	(9.1)	(3.5)	(6.3)	(7.4)	(7.2)	(8.0)	(6.5)	
निर्माण	6.0	7.9	8.2	8.5	8.5	8.2	8.2	8.2	8.2
	(6.1)	(12.8)	(10.3)	(10.8)	(5.3)	(6.7)	(10.2)	(5.6)	(5.9)
कुल सेवाएं (निर्माण को छोड़कर)	50.8	53.1	52.9	52.7	53.9	54.5	54.4	55.7	56.5
	(5.4)	(10.9)	(10.1)	(10.3)	(10.0)	(10.5)	(9.8)	(8.2)	(6.6)
कुल सेवाएं (निर्माण सहित)	56.8	61.0	61.0	61.2	62.4	62.7	62.6	63.9	64.8
	(5.5)	(11.1)	(10.1)	(10.3)	(9.4)	(10.0)	(9.8)	(7.9)	(6.5)
कुल सकल घरेलू उत्पाद	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(4.3)	(9.5)	(9.6)	(9.3)	(6.7)	(8.6)	(9.3)	(6.2)	(5.0)

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: हिस्सा चालू कीमतों के संबंध में है और वृद्धि सतत कीमतों के संबंध में है।

कोष्टक के आंकड़े वृद्धि दर दर्शाते हैं।

* प्रथम संशोधित अनुमान

@ द्वितीय संशोधित अनुमान

^ तृतीय संशोधित अनुमान

** अग्रिम अनुमान

वर्ष 2012-13 के संबंध में व्यापार, होटल और रेस्तरां तथा परिवहन भण्डारण और संचार दोनों का हिस्सा शामिल है।

यद्यपि व्यापार की वृद्धि दर मन्द होकर 6.5% रह गई, इसकी बढ़कर 16.6% हो गई। अन्य तरीकों के परिवहन का हिस्सा 5.4% पर पिछले स्तर की तरह था जबकि इसकी वृद्धि दर 8.6% पर ठीक-ठीक थी। बैंकिंग और बीमा 5.7% के अपने हिस्से में थोड़े से सुधार के कारण वर्ष 2011-12 में पिछले वर्षों के मुकाबले 13.2% की वृद्धि दर के साथ अधिकतम वृद्धि दर पर था। भू सम्पदा, मकानों का स्वामित्व और कारोबारी सेवाएं जिनका हिस्सा 10.8% था जोकि पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा सा अधिक था, उनमें भी 10.3% की वृद्धि हुई। अन्य सेवाएं जिनका वर्ष 2010-11 और 2011-12 में हिस्सा 7.9% था, में वर्ष 2011-12 में 6.5% की दर से धीमी गति से वृद्धि हुई। दो मुख्य मदें हैं सामुदायिक सेवाएं जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य मुख्य मदें और दूसरा वैयक्तिक सेवाएं हैं। यह रोचक है कि कोचिंग सेंटर और सदस्यता संगठन जैसी सामुदायिक सेवाओं की कुछ मदों की विकास दर, थोड़े हिस्से के बावजूद भी काफी अधिक है तथा यह बढ़ती जा रही है। निर्माण कार्य जो सेवा क्षेत्र के समीप टिका हुआ है, पार्श्विक घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित हुआ। पिछले दो वर्ष में इसके 8.2% के हिस्से के मुकाबले इसका विषम विकास हो रहा है।


सेवाओं की राज्य-वार तुलना

10.13 विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के 2011-12 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवाओं के हिस्से की तुलना यह दर्शाती है कि सेवा क्षेत्र, भारत के अधिकांश राज्यों में अग्रणी क्षेत्र है (आकृति 10.2)। चण्डीगढ़, दिल्ली, केरल, मिजोरम, पश्चिम

बंगाल, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटक जैसे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा, अखिल भारतीय हिस्से से अधिक है। चण्डीगढ़ का सूची में प्रथम स्थान है तथा इसका हिस्सा 85% है तथा इसके बाद 81.8% के साथ दिल्ली का स्थान है। अरूणाचल प्रदेश (33.8%) छत्तीसगढ़ (36.7%) और सिक्किम (37%) के अलावा, सभी राज्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवाओं का हिस्सा 40% से अधिक है। वर्ष 2011-12 में समग्र सेवा वृद्धि में सामान्य परिमार्जन के अनुरूप, कई राज्यों में सेवा वृद्धि दर भी परिमार्जित हुई। अपितु कुछ राज्यों में उच्चतर वृद्धि दर लगातार बनी हुई है। जो कि सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में 17.3% तथा इसके बाद बिहार में 16.6% है। संघ राज्य क्षेत्रों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवाओं की अत्यधिक हिस्सेदारी, चण्डीगढ़ की, अर्थात् 13.8% तथा इसके पश्चात् दिल्ली की अर्थात् 11.5% थी। जबकि भारत में सेवा क्रांति अधिक व्यापक हो रही है, तथा पिछड़े राज्य का कार्य निष्पादन भी इस क्षेत्र में काफी अच्छा है, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में आरम्भिक गति, बेस प्रभाव के लाभ के समाप्त होने के पश्चात मन्दी पड़ती प्रतीत हो रही है।

सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

10.14 सेवा क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र में एफ०डी०आई० प्रवाह और सीमा पार फर्मों की भूमिका से सूक्ष्म रूप से जुड़ी है। यद्यपि सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलापों का वर्गीकरण करने में अनेकथता बनी रहती है, वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं, निर्माण विकास, दूर-संचार, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर तथा होटल



स्रोत : सीएसओ आंकड़ों से परिगणित।

नोट : गुजरात तथा मिजोरम के मामले में आंकड़े 2010-2011 से हैं।

शेयर वर्तमान कीमतों पर, वृद्धि दर स्थिर (2004-05) कीमतों पर

एवं पर्यटन के सम्मिलित एफ.डी.आई. हिस्से के सेवाओं के एफ. डी.आई. हिस्से के रफ अनुमान के रूप में लिया जा सकता है। यद्यपि इसमें कुछ गैर-सेवा घटक भी शामिल हो सकते हैं। अप्रैल 2000-नवम्बर, 2012 की अवधि के दौरान यह हिस्सा संचयी एफ. डी.आई. इक्विटी प्रवाह का 47% है। अग्निशमन सेवा क्षेत्र भी ऐसे क्षेत्र है जो अर्थव्यवस्था में उच्चतम संचयी एफ.डी.आई. प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं तथा वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं अप्रैल 2000-नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान सूची में सबसे ऊपर अर्थात् 36.04 बिलियन यू.एस. डालर की स्थिति पर थी। इसके पश्चात् दूसरे सेवा क्षेत्रों का स्थान है-निर्माण कार्य विकास (21.77 बिलियन यू.एस. \$) दूर संचार (12.62 बिलियन \$) तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर और हार्डवेयर (11.54 बिलियन यू.एस. डालर) आदि अन्य सेवाओं अथवा सेवा सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे ट्रेडिंग (1.96%), सूचना और प्रसारण (1.65%), परामर्शदात्री सेवाएं (1.11%), निर्माण (आधारभूत संरचना) क्रियाकलाप (1.06%) बन्दरगाह (0.82%), कृषि सेवाएं (0.80%), अस्पताल और डायग्नोस्टिक केन्द्र (0.82%), शिक्षा (0.36%), हवाई भाड़े सहित हवाई परिवहन (0.24%) और शोक व्यापार (0.02%) का हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र में संचयी एफ.डी.आई. प्रवाह का कुल हिस्सा 56.08% हो जाएगा।

10.15 वर्ष 2011-12 में सेवा क्षेत्र में एफ.डी.आई. का प्रवाह, समग्र एफ.डी.आई. के 34% के प्रवाह की तुलना में 59% बढ़कर 57.62% होकर 12.14 बिलियन यू.एस. डालर हो गया। तथापि वर्ष 2012-13 में (अप्रैल-नवम्बर) में समग्र एफ.डी.आई. प्रवाह पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 27.93 बिलियन यू.एस. डालर से 43% गिरकर 15.85 बिलियन यू.एस. डालर हो गया। इस प्रवृत्ति के साथ यद्यपि सर्वोच्च पांच सेवा में क्षेत्रों में एफ.डी.आई. का प्रवाह 14.97% की रेंज में गिर गया, फिर भी होटल तथा पर्यटन


क्षेत्र में एफ.डी.आई. का प्रवाह पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि से काफी अधिक अर्थात् 32.8% बढ़ गया।

10.16 सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति को उदार बनाने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। प्रसारण क्षेत्र में प्रचालन करने वाली कंपनियों के लिए विदेशी निवेश पर नीति का उदारिकरण, जैसे कि टेलीपोर्ट (अपलिकिंग एचयूबी/टेलीपोर्ट स्थापित करने हेतु) और डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) एवं केबल नेटवर्कों में विदेशी निवेश सीमा 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढ़ाना; और मोबाइल टीवी में 74 प्रतिशत तक विदेशी निवेश (एफआई) की अनुमति देना; विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं में 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश करने की अनुमति है; मल्टीब्रांड रिटेल व्यापार में 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है (बॉक्स 10.2 भी देखें); और एकल-ब्रांड उत्पाद रिटेल व्यापार में एफडीआई पर विद्यमान नीति का संशोधन।

भारत का सेवा व्यापार

10.17 सेवाओं के विश्व निर्यात में भारत के सेवा निर्यात का हिस्सा, जो 1990 में 0.6 प्रतिशत से 2000 में 1.0 प्रतिशत और उसके बाद 2011 में 3.3 प्रतिशत तक बढ़ा, विश्व निर्यात में उत्पाद निर्यात के हिस्से से तेज गति से बढ़ रहा है। भारत और विश्व की सेवाओं के निर्यात की विकास दर दो भिन्न चरण दर्शा रहे हैं, 1996 तक प्रथम चरण जब दो वृद्धियों की कैची जैसी गति है और 1996 के बाद दूसरा चरण जब भारत के सेवा निर्यात का विकास 2009 के अलावा लगभग सभी वर्षों में विश्व की विकास दर से अधिक थी। इस दूसरे चरण में, पहले वाला सुधार, बाद वाले से कहीं अधिक था किन्तु गिरावट के दौरान बाद वाले के साथ लगभग झुक गया। (आंकड़ा 10.3 अध्याय 7: 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार' भी देखें)

चित्र 10.3: वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात वृद्धि-भारत और विश्व



स्रोत : डब्ल्यूटीओ आंकड़ों से परिगणित।

10.18 जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवाओं सहित कुल व्यापार द्वारा प्रतिबिंबित अर्थव्यवस्था की पूरी उदारता 2004-5 में 38.1 प्रतिशत के मुकाबले 2012-12 में 55.0 प्रतिशत की उच्च कोटि की उदारता दर्शाती है। केवल उत्पाद व्यापार पर आधारित उदारता संकेतक 2004-5 में 28.3 प्रतिशत के मुकाबले 2011-12 में 43.2 प्रतिशत पर है।

भारत में सेवा नियोजन


10.19 कृषि का हिस्सा 1993-4 में 64.75 प्रतिशत से गिरकर 2009-10 में 53.2 प्रतिशत हो गया और उद्योग (निर्माण सहित) का हिस्सा 12.43 से गिरकर 11.9 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, नियोजन में सेवाओं और निर्माण क्षेत्रों का हिस्सा उसी अवधि में बढ़कर क्रमशः 19.70 प्रतिशत से 25.30 प्रतिशत और 3.12 प्रतिशत से 9.60 प्रतिशत हो गया। भारत में 2009-10 में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति पर नेशनल सैंपल सर्वे कार्यालय (एएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य एवं गौण स्थानों में सामान्यतया कार्यरत लोगों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में नियोजित प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में से 679 व्यक्ति कृषि क्षेत्र में, 241 सेवा क्षेत्र में (निर्माण सहित) और 80 औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित हैं। भारत के शहरों में 75 व्यक्ति कृषि क्षेत्र में, 683 सेवा क्षेत्र में (निर्माण सहित) और 242 औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित हैं। निर्माण; व्यापार, होटल, और रेस्त्रां, और लोक प्रशासन शिक्षा, और समुदाय सेवाएं तीन प्रमुख रोजगार प्रदान करने वाले सेवा क्षेत्र हैं।

10.20 अध्ययनों से यह पता चला है कि तृतीय नियोजन के हिस्से का प्रत्येक क्रमिक एनएसएसओ दौर (आंकड़ा 10.4) में उच्च आय पंचभागों के उच्च हिस्से के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी आय पंचभागों में काफी ऊर्ध्व झुकाव है। इस प्रकार, तृतीय नियोजन विकास, निम्न आय श्रम के अवशोषक से निरंतर उच्च आय नौकरियों के प्रदाता की ओर बढ़ रहा है।

कुछ प्रमुख सेवाओं का प्रदर्शन

10.21 विभिन्न संकेतकों के आधार पर विभिन्न सेवाओं का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि दूरसंचार, पर्यटन और रेलवे जैसे क्षेत्रों ने 2011-12 में बेहतर कार्य किया है (सारणी 10.3)। नौवहन और पत्तन ने वैश्विक मंदी के प्रभावों को प्रतिबिंबित करते हुए खराब प्रदर्शन किया है। सीमित फर्म-स्तरीय आंकड़े, अनुमानों और पूर्वानुमानों के आधार पर विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन और संभावना इस वर्ष के लिए मिलीजुली तस्वीर दिखाती है, हालांकि आगामी वर्ष में आशावाद के कुछ आधार हैं (बॉक्स 10.1)।

10.22 भारत के लिए महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सेवाओं को उनके जीडीपी, नियोजन और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर इस भाग में विस्तार से पेश किया गया है। अवसंरचना, वित्तीय मध्यस्थता और सामाजिक क्षेत्रों जैसे अन्य अध्यायों में शामिल सेवाओं की संभावित सीमा तक प्रतिलिपिकरण को रोकने के लिए ध्यान रखा गया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यापार, पर्यटन, नौवहन और पत्तन सेवाएं, रियल एस्टेट सेवाएं, आईटी सहित व्यवसाय सेवाएं और आईटी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस), अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सेवाएं, कानूनी सेवाएं, और लेखा एवं लेखा-परीक्षा सेवाएं शामिल हैं।



स्रोत : डी० मजूमदार, एस सरकार तथा वी० एस मेहता, भारत में असमानता; वैश्वीकरण पर आईएचडी अनुसंधान कार्यक्रम का भाग तथा आईसीएसएफआर द्वारा वित्तपोषित श्रम शक्ति, (आगामी)
 नोट : औसत प्रतिव्यक्ति व्यय; यूपीएस: एपीसीई: सामान्य प्रधान स्थिति

व्यापार

10.23 पिछले सात वर्षों (2011-12 में 16.6 प्रतिशत) में भारत के जीडीपी में 15 प्रतिशत से अधिक के हिस्से और 2004-05 से

2011-12 के दौरान 9.3 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ व्यापार 2011-12 में 8,10,585 रुपए तक बढ़ गया। एटी कर्ने, वैश्विक रिटेल विकास सूची 2012 रिपोर्ट के अनुसार, भारत 5वें स्थान पर रहा

सारणी 10.3 : भारत के सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन: कुछ संकेतक

क्षेत्र	संकेतक	इकाई	अवधि				
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उड्डयन	एयरलाइन यात्री (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय)	मिलियन	49.5 (क)	54.5 (क)	64.5 (क)	70.2 (क)	67.5 (क)
दूरसंचार	दूरसंचार कनेक्शन (वायरलाइन और वायरलेस)	लाख	4297.25	6212.8	8463.2	9513.4	8955.1 (ख)
पर्यटन	विदेशी पर्यटकों का आगमन	मिलियन	5.28 (क)	5.17 (क)	5.78 (क)	6.31 (क)	6.65 (क)
	पर्यटकों के आगमन से विदेशी विनिमय की आय	यूएस मि.\$	11832 (क)	11136 (क)	14193 (क)	16564 (क)	17737 (क)
नौवहन	भारतीय नौवहन का सकल टनभार	मिलियन जीटी	9.28	9.69	10.45	11.06 (ग)	10.45 (घ)
	जहाजों की संख्या		925	1003	1071	1122 (ग)	1158 (घ)
पत्तन	पत्तन यातायात	मिलियन टन	744.02	850.03	885.45	911.68	455.77 (e)
रेलवे	रेलवे द्वारा भाड़ा यातायात	मिलियन टन	833.31	887.99	832.75	969.78	735.32 (ग)
	रेलवे का निवल टन कि.मी.	मिलियन	538226	584760	444515	639768	470956 (ग)
भण्डारण	भण्डारण क्षमता	लाख एमटी	105.25	105.98	102.47	100.85	101.60
	भण्डारों की संख्या	संख्या	499	487	479	468	469

स्रोत: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, पर्यटन मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय और केन्द्रीय भण्डार निगम (भारतीय एगिजम बैंक द्वारा संकलित)।

टिप्पणी: (क) कैलेन्डर वर्ष, उदाहरणार्थ 2007 के लिए 2007-08, (ख) 31 दिसम्बर, 2012 के अनुसार (ग) अप्रैल-दिसम्बर, (घ) 30 नवम्बर, 2012 के अनुसार। जीटी का अर्थ सकल टन है; एमटी का अर्थ मीट्रिक टन है।

बॉक्स 10.1 : सेवा फर्मों का प्रदर्शन: एक क्षेत्रीय विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सीएमआई) का फर्म-स्तरीय आंकड़ों पर आधारित सेवा गतिविधियों के क्षेत्र-वार प्रदर्शन का विश्लेषण दर्शाता है कि परिवहन सुप्रचालन, उड्डयन, होटल और निर्माण जैसे क्षेत्रों का प्रदर्शन पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में कम हुआ है। होटल क्षेत्र में उच्च नकारात्मक बीएटी जारी है। स्वास्थ्य सेवा और दूरसंचार क्षेत्र का प्रदर्शन वर्ष 2012-13 में पुनः सुधरने की संभावना है। रिटेल व्यापार, जिसका लाभकारिता में नकारात्मक विकास होने की संभावना है, के अलावा समग्र रूप में वर्ष 2012-13 अधिकतर क्षेत्रों के लिए बेहतर होने की संभावना है। यह नकारात्मक विकास दो घटकों के कारण हैं- पहला वर्ष 2012-13 में कर के पश्चात् उच्च लाभ (पीएटी) विकास के साथ मूल प्रभाव है; और दूसरा प्रचालन लागत बढ़ने और अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य में कमी के कारण 2012-13 में अंतर का अपेक्षित ह्रास है (सारणी 1)।

सारणी 1 : चुनिंदा सेवा फर्मों के प्रदर्शन

वार्षिक वृद्धि (पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन)

क्षेत्र	बिन्नरी			पीएटी			व्यय		
	2011-12	2012-13*	2013-14*	2011-12	2012-13*	2013-14*	2011-12	2012-13*	2013-14*
	परिवहन सुप्रचालन	11.0	1.8	11.9	5.8	-2.5	16.3	13.4	3.1
नौवहन	9.3	12.9	4.2	-78.5	63.7	84.0	23.0	9.5	0.0
उड्डयन	10.6	-0.2	8.0	-	-	-	21.0	-4.2	7.5
रिटेल व्यापार	-10.3	10.6	12.3	24.9	169.6	-59.4	-2.5	7.8	12.3
स्वास्थ्य सेवाएं	16.6	21.1	19.5	-22.0	52.4	24.7	18.8	20.0	17.8
होटल	9.2	9.5	11.0	-77.5	-76.2	-11.7	16.4	12.9	10.9
दूरसंचार	8.9	9.5	11.8	-71.0	39.9	56.2	13.0	12.6	11.4
सॉफ्टवेयर	21.3	19.3	10.7	16.2	19.6	5.2	26.0	18.5	11.8
निर्माण	18.6	12.1	17.2	-2.6	0.4	19.3	21.6	13.6	16.4

स्रोत: सीएमआई उद्योग विश्लेषण (भारतीय एगिजम बैंक द्वारा संकलित)।

टिप्पणी: *पूर्वानुमान

और अगले पांच वर्षों में 15 से 20 प्रतिशत के त्वरित रिटेल मार्केट विकास के साथ उच्च संभावना बाजार है। यद्यपि संपूर्ण रिटेल बाजार का भारत के जीडीपी में 14 प्रतिशत का हिस्सा है फिर भी संगठित रिटेल निवेश कम है, जो विकास का संकेत देता है। ब्राजील, रिटेल बिक्री में अपने उपभोक्ता खर्च के 70 प्रतिशत के साथ इस कतार में शीर्ष पर है, उसके बाद चिले, चीन और उरूग्वे हैं। भारत में, खाद्य और पेय पदार्थ हिस्सा विदेशी विक्रेताओं के कारण बढ़ी हुई गतिविधि दर्शा रहा है और किराना भारत का सबसे बड़ा रिटेल बिक्री स्रोत है। हाइपरमार्केट और सुपरमार्केट का संगठित रिटेल बाजार पर आधिपत्य है किन्तु भारती वाल-मार्ट, मेट्रो समूह और कैरीफोर के योजनाबद्ध महत्वपूर्ण विस्तार के साथ नकद दो और माल लो, का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। पोषाक के अगले पांच वर्षों में 9 से 10 प्रतिशत वार्षिक बढ़ने की संभावना है। जारा, मार्क एंड स्पेंसर और मैंगो जैसे विक्रेता देश भर में और अधिक दुकानें खोलने के लिए सक्रिय रूप से जगह की तलाश कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बंगलौर में विलासिता मॉलों की मोर्चाबंदी के साथ ही विलासिता रिटेल क्षेत्र में पिछले वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

10.24 2006 से भारत ने एकल ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी है। जनवरी 2012 में सरकार ने एकल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध हटा दिया और सितम्बर, 2012 से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दे दी। बहु-ब्रांड में सरकारी मार्ग के तहत और विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है (बॉक्स 10.2)। हालांकि कृषि उत्पादों को आधुनिक रिटेल व्यापार की वृद्धि के साथ बहुत बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त हुई इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ सकता था, क्योंकि वर्तमान में रिटेल क्षेत्र अधिकतर असंगठित हैं और उन पर कर अनुपालन कम है।

होटलों और रेस्त्राओं सहित पर्यटन

10.25 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), पर्यटन संस्करण 2012 के मुख्य अंश के अनुसार पर्यटन का हिस्सा वैश्विक नियोजन (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) का 6-7 प्रतिशत और वैश्विक आय का 5 प्रतिशत है। यह विश्व में रोजगार के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और देशांतर और पर्यटन उद्योग में 70 प्रतिशत कार्यबल का हिस्सा महिलाओं का है। अतः यह अन्य क्षेत्रों

बॉक्स 10.2 : मल्टीब्रांड उत्पाद रिटेल व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

मल्टीब्रांड उत्पाद रिटेल व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति निम्नलिखित विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है:-

फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे मुर्गे, मछलियों और मांस उत्पादों सहित ताजे कृषि उत्पाद गैर-ब्रांडेड हो सकते हैं;

- विदेशी निवेशक द्वारा एफडीआई के रूप में लाई जाने वाली न्यूनतम राशि 100 मिलियन यूएस डालर होगी;
- लाए गए कुल एफडीआई का कम से कम 50 प्रतिशत एफडीआई के प्रथम अंश का तीन माह के भीतर "पार्श्व अवसंरचना" में निवेश किया जाएगा;
- खरीदे गए निर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के क्रय मूल्य का कम से कम 30 प्रतिशत 'लघु उद्योगों', जिसके पास संयंत्र और यंत्रों में 1 मिलियन यूएस डालर से कम का कुल निवेश हो, से स्रोतित किया जाएगा;
- रिटेल बिक्री केन्द्र की स्थापना जनगणना 2011 के अनुसार केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ही किया जा सकता है और ऐसे शहरों के नागर/शहरी समुदाय के चारों ओर 10 किमी. के क्षेत्र का समावेश कर सकता है;
- कृषि उत्पादों की खरीद का पहला अधिकार सरकार के पास रहेगा।

राज्य सरकार/संघ क्षेत्र, नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे क्योंकि रिटेल व्यापार एक राज्य विषय है। ग्यारह राज्यों/संघ क्षेत्रों, अर्थात्, आन्ध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखण्ड, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली ने इस नीति के तहत रिटेल केन्द्रों की स्थापना हेतु सहमति दे दी है। आंतरिक व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को देखने और जब भी आवश्यकता हो, सरकार को आंतरिक व्यापार सुधारों पर संस्तुतियां देने के लिए उपभोक्ता कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की गई है।

मल्टीब्रांड रिटेल व्यापार में एफडीआई, आपूर्ति श्रंखला की पूरी सीमा में, पणधारकों के लिए लाभदायक होगी। किसानों को पार्श्व अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप संभावित फसल उपरांत हानि में सार्थक कमी से लाभ होगा जिससे किसानों को अपने उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। छोटे निर्माताओं को कम से कम 30 प्रतिशत खरीद भारतीय लघु उद्योग से करने की अपेक्षा वाले शर्त से लाभ होगा क्योंकि इससे वे वैश्विक रिटेल श्रंखला के साथ एकीकरण में समर्थ होंगे। बदले में यह भारत से उत्पादों के निर्यात की उनकी क्षमता को बढ़ाएगी। जहां तक छोटे रिटेलरों का संबंध है; संगठित रिटेल छोटे व्यापारियों और असंगठित रिटेल क्षेत्र के साथ पहले से ही सहवर्ती है। अध्ययनों से संकेत मिला है कि बेहतर व्यवसाय प्रथाओं और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से इन संगठित रिटेलरों को परंपरागत रिटेलरों से काफी प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया मिल रही है। वैश्विक अनुभवों से भी यह संकेत मिला है कि संगठित और असंगठित रिटेल सहवर्ती हैं और उनका विकास हो रहा है। इससे, पहला, मूल्य कम होने परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रंखला में दक्षता आएगी और दूसरे, प्रौद्योगिकी उन्नयन, दक्ष श्रेणीकरण, छंटाई और पैकेजिंग, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पाद मानकीकरण के संयुक्त प्रभाव के कारण उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ हो रहा है। इस नीति के कार्यान्वयन से और अधिक एफडीआई अंतर्वाह, गुणवत्ता नियोजन, और वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अपनाए की भी संभावना है।

स्रोत: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से प्राप्त निविष्टियों पर आधारित।

से अधिक सम्मिलित विकास का उत्पादन करता है। यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगंतुकों की संख्या, विश्व में अस्थिरता के बावजूद 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2011 में 996 मिलियन से 2012 में 1.04 बिलियन के आंकड़े तक पहुंचकर इतिहास में पहली बार 1 बिलियन के निशान के पार कर गया, विशेषरूप से यूरोप में, जहां आगंतुकों की संख्या पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की संख्या के आधे से अधिक है। 4.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने 3.6 प्रतिशत वृद्धि वाले उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया जिसमें एशिया पैसिफिक ने 7 प्रतिशत की सबसे मजबूत वृद्धि हासिल की। 2013 में एशिया पैसिफिक के लिए संभावना मजबूत होने के साथ विकास मामूली रूप से धीमा होने की संभावना है। (5-6 प्रतिशत)। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियां 11 प्रतिशत (वास्तविक रूप में 3.9 प्रतिशत) तक बढ़कर अनुमानित 1030 बिलियन यूएस डालर तक हो गया और इसने कई स्रोत बाजारों में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अधिकतर गंतव्यों में नया रिकार्ड कायम किया। वर्ष के कम से कम प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 2012 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों और व्यय पर उपलब्ध आंकड़े, आगमन में सकारात्मक प्रवृत्तियों की पुष्टि करते हैं। भारत (22 प्रतिशत) सहित गंतव्यों की महत्वपूर्ण संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियां 15 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ी। यूएनडब्ल्यूटीओ के अनुसार, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या 2010 से 2030 तक औसतन 3.3 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 43 मिलियन और उससे अधिक आगमन होगा और 2030 तक यह कुल 1.8 बिलियन आगमन तक पहुंच जाएगा। पूर्व में, उभरते हुए अर्थव्यवस्था गंतव्यों का विकास उन्नत आर्थिक गंतव्यों से तेजी से हुआ। इसके परिणामस्वरूप, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का बाजार हिस्सा जो 1980 में 30 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 47 प्रतिशत हो गया वह 2030 तक 57 प्रतिशत होने की संभावना है जो एक बिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के बराबर है।

10.26 टूरिस्ट सेटलाइट अकाउंट (टीएसए) आंकड़ा 2009-10 के अनुसार, भारत के जीडीपी में पर्यटन का योगदान 6.8 प्रतिशत था (3.7 प्रतिशत प्रत्यक्ष और 3.1 प्रतिशत प्रत्यक्ष) और कुल रोजगार सृजन में इसका योगदान 10.2 प्रतिशत था (प्रत्यक्ष 4.4 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष 5.8 प्रतिशत)। बारहवीं पंच वर्षीय योजना दृष्टिकोण पत्र के अनुसार, भारत के देशाटन और पर्यटन क्षेत्र द्वारा निर्माण क्षेत्र में प्रति मिलियन रुपए के निवेश पर 45 नौकरी की तुलना में प्रति मिलियन रुपए के निवेश पर 78 नौकरी सृजित करने का अनुमान है। भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) 2011 में 9.2 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, यूरो-जोन संकट और वैश्विक मंदी के कारण, एफटीए विकास 2012 में 66.48 लाख आगमन तक पहुंचकर 5.4 प्रतिशत तक कम हुआ। इसके

परिणामस्वरूप, डालर के रूप में विदेशी आय का अर्जन (एफईई) विकास जो 2011 में 16.7 प्रतिशत था वह 2012 में 17.74 बिलियन यूएस डालर तक पहुंचकर 7.1 प्रतिशत तक कम हुआ। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का हिस्सा मात्र 0.64 प्रतिशत था (38वीं श्रेणी)। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का हिस्सा 2011 में 1.61 प्रतिशत के साथ अपेक्षाकृत अधिक था, हालांकि यह यूएस (11.3 प्रतिशत) और यहां तक कि चीन (4.7 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है।

10.27 1991 से 2011 तक घरेलू पर्यटक भ्रमण के 14.34 प्रतिशत सीएजीआर के साथ घरेलू पर्यटन भी इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण यागदाकर्ता है। 2011 के दौरान, 851 मिलियन घरेलू पर्यटक थे जिसमें पांच शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र थे, जिनकी संख्या संचयी रूप से भारत में कुल घरेलू पर्यटक भ्रमण का लगभग 69 प्रतिशत था। 2011-12 में भारत के जीडीपी में 1.5 प्रतिशत हिस्से के साथ होटल और रेस्त्रां भी पर्यटन क्षेत्र के महत्वपूर्ण उप-घटक हैं। स्वास्थ्य पर्यटन, गोल्फ पर्यटन और साहसिक पर्यटन जैसे कई नए पर्यटन उत्पाद भी हैं जो भारत के लिए सार्थक संभावना के हैं।

10.28 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2008 से 31 मार्च, 2013 तक शुरू होने वाले होटलों के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व धरोहर स्थलों (दिल्ली और मुंबई के अलावा) के आस-पास स्थित 2, 3 और 4 सितारा श्रेणी होटलों हेतु पांच वर्ष का कर अवकाश; आयकर अधिनियम की धारा 35कघ के तहत निवेश संबद्ध कटौती को भारत में कहीं भी 2 सितारा श्रेणी और उससे ऊपर श्रेणी के होटलों के लिए विस्तार किया गया है जिसमें वर्ष के दौरान भूमि, सद्भावना और वित्तीय अभिलेखों में किए गए खर्च को छोड़कर पूंजीगत प्रकृति के संपूर्ण या किसी व्यय के संबंध में 100 प्रतिशत कटौती की अनुमति है; अवसंरचना उप-क्षेत्र की सुसंगत सूची में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित 3 सितारा या उससे ऊपर श्रेणी में वर्गीकृत होटलों का समावेश करने सहित कई नीतिगत उपाय किए हैं। भारत सरकार ने 'मौसमीपन' के पहलू से उबरने के लिए पर्यटन उद्योग के उदीयमान/आने वाले उत्पादों की पहचान, विविधिकरण, विकास और संवर्धन और भारत को 365 दिवसीय गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने, विशिष्ट हित वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और जिसमें भारत को तुलनात्मक बढ़त हासिल है उन उत्पादों के लिए पुनर्भ्रमण सुनिश्चित करने के लिए भी पहलें की हैं। गोल्फ पर्यटन और स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष दिशानिर्देशों का निरूपण भी किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने भी साहसिक पर्यटन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों पर दिशानिर्देशों का एक सेट निरूपित किया है। साहसिक दौरा संचालकों की स्वीकृति की योजना भी घोषित की गई है, जो एक स्वैच्छिक योजना है और सभी प्रामाणिक साहसिक दौरा संचालकों के लिए

खुला है। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एक नई 'चिकित्सा वीसा' श्रेणी की शुरुआत की गई है। सरकार ने भारतीय औषधि प्रणाली की पूरी विस्तृत श्रेणी को शामिल करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए भी दिशानिर्देश बनाया है।

10.29 आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 और 2011-12 में इस क्षेत्र के विकास के लिए सुलझाए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न चुनौतियों को चिह्नित किया गया है। कुछेक चुनौतियां इस क्षेत्र के विकास में अभी भी बाधा बनी हुई हैं। इनमें से एक आतिथ्य एवं पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर विविध कर लगाया जाना है जो पर्यटन उत्पाद को होटल की उच्च दरों एवं उच्च शुल्कों के रूप में महंगा बनाता है। दूसरा राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाले एश्वर्य कर (लकजरी टैक्स) है जिसके कारण होटलों का प्रशुल्क ज्यादा और पर्यटकों की कमी हो जाती है। कुछ राज्यों में होटलों में एश्वर्य कर काफी अधिक लगाया जाता है जो 5% से 12.5% तक हो सकता है तथा कुछ मामलों में यह कमरों के प्रिंटेड किरायों पर प्रयोज्य होता है जबकि मेहमानों से होटल का लिया जानेवाला वास्तविक किराया काफी कम होता है। पर्यटन संरचना और एक क्षेत्र है जिस पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है तथा जहां सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के लिए काफी संभावनाएं हैं। इमारतों अथवा पर्यटन स्थलों का विकास निजी क्षेत्र या पीपीपी के माध्यम से किए जाने पर उपभोक्ता शुल्क की उगाही की जा सकती है। इस प्रकार, जैसा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित, अनवरत एवं अधिक समाविष्ट वृद्धि की बात रखी गयी है तो पर्यटन क्षेत्र में इस संबंध में काफी प्रबलताएं हैं तथा कई महत्वपूर्ण अवसर अभी भी लाभ उठाए जाने से रह गए हैं।

परिवहन संबंधित कुछ सेवाएं

पोत परिवहन

10.30 पोत परिवहन माल व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोत परिवहन की किस्मत माल व्यापार तथा माल-व्यापार का भविष्य पोत परिवहन की क्षमता पर निर्भर करता है। भारतीय व्यापार की कुल मात्रा का लगभग 95 प्रतिशत तथा उसके मूल्य का 68 प्रतिशत समुद्री परिवहन द्वारा होता है। 30 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार भारत के पास 10.41 मिलियन के सकल टन भार (जीटी) के साथ 1153 जहाजों का बेड़ा था तथा भारत के सरकारी क्षेत्र के भारतीय पोत परिवहन निगम का 32.62 प्रतिशत का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनमें से 9.33 मिलियन सकल टन भार वाले 349 जहाज भारत के विदेशी व्यापार में लगे हैं जबकि बाकी तटीय व्यापार में लगे हैं। 2010-11 में भारतीय जहाजों के सकल विदेशी विनिमय अर्जन/बचतें 10,666.45 करोड़ थीं। विकासशील देशों में भारत के पास सबसे बड़े व्यापारिक जलपोतों/बेड़ों के होने के बावजूद 01 जनवरी, 2012 की स्थिति

के अनुसार कुल विश्व डीडब्ल्यूटी का केवल 1.05 प्रतिशत हिस्सा होने के साथ पंजीकृत सबसे बड़े 'डेड वेट टनेज' में 35 जकीकरण में भारत का स्थान अट्टारहवां हैं 'फ्लैग ऑफ कन्वीनीयन्स' देशों को छोड़कर, हांगकांग 7.6 प्रतिशत हिस्से के साथ सर्वाधिक डीडब्ल्यूटी वाला देश है जबकि चीन का हिस्सा 3.79 प्रतिशत का है। यूएनसीटीएडी के अनुसार 2011 में मालवाहक के 9.95 मिलियन बीस फुट समकक्ष इकाई (टीईयू) के साथ माल वाहक जहाज प्रचालनों के संदर्भ में विकासशील देशों के बीच भारत का स्थान 1.74 प्रतिशत विश्व शेर के साथ आठवां था। भारत जहाजों को तोड़ने वाले प्रमुख देशों में से एक माना जाता है। 2011 में 28.7 प्रतिशत (डीडब्ल्यूटी के संदर्भ में) के विश्व शेर के साथ भारत ने आईएसएल शिपिंग सांख्यिकी तथा बाजार समीक्षा सितम्बर/अक्टूबर, 2012 के अनुसार 13.87 मिलियन डीडब्ल्यूटी के 203 जहाजों जो तोड़कर जहाज-तोड़नेवाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। भारत समुद्री यात्रियों की जरूरतों की पूर्ति करनेवाले मुख्य देशों में से भी एक है।

10.31 वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप वैश्विक पोतपरिवहन उद्योग द्वारा झेला गया संकट वर्ष 2012 में भी जारी रहा। माल व्यापार तथा पोत सेवाओं का बैरोमीटर, बाल्टिक ड्राई सूचकांक 2008 के वैश्विक संकट के बाद खतरे में ही है हालांकि सूचकांक के लोअर एंड में कुछ उतार-चढ़ाव भी थे (अध्याय 7: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार' भी देखें) इस ढरे पर चलते हुए भारत का विदेशी समुद्री व्यापार जो विगत कुछ वर्षों के दरम्यान 1999-2000 में 224.62 मिलियन टन से 2010-11 में 570 मिलियन टन बढ़ा था वह 2011-12 में 560.13 मिलियन टन तक गिर गया। दुनिया भर की पोत कम्पनियों की तरह भारतीय पोत कंपनियों को भी पोत के सभी वर्गों में अत्यंत न्यून चार्टन किराए एवं माल दरों के कारण सीमित नकद आगम की समस्या का सामना करना पड़ा। विभिन्न 'वैरी लार्ज क्रूड कैरियर (बीएलसीसी) फिक्सचर्स के मोटे तौर पर तुलना करने पर पता चलता है कि वित्त वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में औसत दर 13,605 अमरीकी डॉलर्स प्रति दिन से घटकर अगले तीन महानों में 835 अमरीकी डॉलर्स, 776 अमरीकी डॉलर्स एवं 1296 अमरीकी डॉलर्स तक गिर गया।

10.32 भारत के विदेशी व्यापार के संवाहन में भारतीय जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आयी है। 1980 के अंतिम दशकों में 40 प्रतिशत से यह भारत के कुल तेल आयात में 13.89 प्रतिशत हिस्से के साथ 2010-11 में 7.95 प्रतिशत तक गिर गया। भारतीय व्यापार में भारत की सापेक्षतया कम भागीदारी को देखते हुए तथा 30 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय बेड़े की औसत उम्र 1999 में 15 वर्ष से 17.03 वर्ष (20 वर्षों में बेड़े के 42.24 प्रतिशत तथा 16-20 वर्ष के आयु वर्ग में 11.10 प्रतिशत के साथ) बढ़ने यानि इस तथ्य के मद्देनजर की भारतीय जहाज बूढ़े हो रहे हैं पोत

बेड़ों को बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि यह कम से कम भारत की व्यापार प्रमात्राओं की पूर्ति कर सके। यह देखते हुए कि जहाजों की कीमतें जो 2007-08 के मध्य में शीर्ष पर पहुंच गई थी, उनके परवर्ती वर्षों में ऐतिहासिक रूप से घटने के साथ तथा इस प्रवृत्ति के दिसम्बर, 2012 तक जारी रहने के कारण यह सही अवसर है कि हम अपने जहाजी बेड़ों की संख्या में उचित इजाफा करें। बढ़े एवं आधुनिक जहाजी बेड़े न सिर्फ उच्चतर वृद्धि रोजगार एवं विदेशी मुद्रा के उच्चतर अर्जन/बचतों में परिणीत होंगे बल्कि इसे हमारे विदेशी लाइनरों, जो भारतीय कार्गो को अपने समयानुसार ले जाते हैं तथा शुल्क में भी भेदभाव करते हैं, के साथ शुल्क के मोलभाव करने की शक्ति भी बढ़ेगी।

पत्तन सेवाएं

10.33 पत्तन सेवाएं, पोत सेवाओं एवं माल व्यापार से निकट संबंध रखती है। पोत सेवाओं एवं माल व्यापार का निष्पादन भी पत्तनों की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। भारतीय पत्तनों की कुल क्षमता 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 1245.3 मिलियन टन पर पहुंच गई है। 2011-12 के दौरान सभी पत्तनों पर हुआ कुल यातायात पिछले वर्ष से 3 प्रतिशत तक बढ़कर 911.7 मिलियन टन रहा। यद्यपि प्रमुख पत्तनों पर यातायात जो कि कुल यातायात का लगभग 60 प्रतिशत है, में गिरावट आयी है किन्तु सभी पत्तनों में हुए कुल यातायात की वृद्धि का श्रेय छोटे पत्तनों द्वारा 11.5 प्रतिशत की अर्जित वृद्धि को जाता है। 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) के पहली छमाही में भारतीय पत्तनों पर हुआ यातायात पूर्व वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 1.8 प्रतिशत तक बढ़ा क्योंकि प्रमुख पत्तनों पर हुए यातायात में आई गिरावट को छोटे पत्तनों पर बढ़े यातायात (10.3 प्रतिशत) से पूरा कर लिया गया।

10.34 विश्व जल पोत परिषद् के अनुसार 2011 में 31.74 मिलियन टीईयू के साथ कार्गो की कुल मात्रा को संभाले जाने के संदर्भ में संघाई पत्तन अग्रणी रहा। 29.94 मिलियन टीईयू के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर रहा। 2011 में 4.53 मिलियन टीईयू के साथ कार्गो की कुल मात्रा संभाले जाने के संदर्भ में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) 30 वें स्थान पर रहा। तीन पत्तन संबंधित निष्पादन संकेतकों में वर्ष 2011-12 एवं अप्रैल-सितंबर 2012 दोनों में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सुधार प्रदर्शित होता है। 2011-12 में 12,825 टन की तुलना में 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान सभी प्रमुख पत्तनों हेतु औसत आउटपुट प्रति जहाज लंगरगाह-दिवस में 13,374 टन की वृद्धि हुई। सभी प्रमुख भारतीय पत्तनों पर औसत टर्नअराउंड समय में 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमशः 5.29 एवं 5.05 की तुलना में 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर) में 4.15 दिनों का सुधार हुआ तथा यह कोच्चि पत्तन पर 1.54 दिनों से कांडला पत्तन पर 6.27 दिनों के बीच था। सभी प्रमुख पत्तनों का औसत पूर्व-लंगरगाह समय (पीबीडीटी) में 2010-11 में 2.32 दिनों से 2011-12 में 2.04 दिनों की भारी गिरावट आयी। जहां पहली नजर में यह पत्तनों की अच्छी कार्यक्षमता की ओर इशारा करता है वहीं इसके पीछे वैश्विक मंदी के चलते पत्तनों द्वारा कम मात्रा संभाले जाने का कारण भी हो सकता है। यहां तक कि 2008-09 की तुलना में 2011-12 में औसत टर्नअराउंड समय अधिक रहा है। इस प्रकार औसत आउटपुट प्रति जहाज लंगरगाह-दिवस के अलावा बाकि दो संकेतकों द्वारा इन वर्षों में कोई सुधार दिखाई नहीं दिया है। अतः हमारे पत्तनों में अभी और सुधार लायी जानी की आवश्यकता है। (सारणी 10.4)

10.35 सरकार सरकारी निवेश एवं पीपीपी के संयोग के माध्यम से अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने की रणनीति का अनुसरण करती आयी है। केन्द्रीय बजट 2011-12 ने अवसंरचना हेतु निधियों के आबंटन में वृद्धि की है और अवसंरचना क्षेत्र हेतु कर मुक्त बांडों

सारणी 10.4 : भारतीय पत्तनों के कुछ निष्पादन संबंधी संकेतक

संकेतक	1990-91	2000-01	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12(अ)	अप्रैल से सितंबर 2011-12		2008-09 की तुलना में 2011-12	पूर्व वर्ष की अपेक्षा 2012-13 (अप्रैल-सितम्बर में परिवर्तन)
							2011-12	2012-13		
औसत टर्नअराउंड समय (दिवस)	8.10	4.24	4.20	4.63	5.29	5.05	4.80	4.15	0.85	-0.65
औसत पूर्व लंगरगाह समय (दिवस)	2.16	1.19	1.63	2.16	2.32	2.04	-	-	0.41	-
औसत आउटपुट प्रति जहाज-लंगरगाह दिवस (टन में)	3372	6961	9669	9215	9140	13073	12825	13374	3404	549

स्रोत: परिवहन अनुसंधान संकथ, पोत परिवहन मंत्रालय प्रमुख पत्तनों/भारतीय पत्तन संघ (आईपीए के आंकड़ों पर आधारित अ अनंतिम हेतु है।

की सीमा को बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए किया है। समुद्री व्यापार की मांग के मद्देनजर पत्तनों हेतु विकासपरक योजनाओं, उत्पादन में सुधार आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत आनेवाले प्रमुख पत्तनों की क्षमता को बढ़ाने हेतु किए गए उपायों को चालू प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। पत्तन क्षेत्र के लिए 3,057.47 करोड़ रुपए के परिव्यय (सकल बजटीय सहायता) के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना 696.5 मिलियन टन के पूर्व योजना के आधार स्तर से क्षमता में 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ 2016-17 के अंत तक 1229.29 मिलियन टन तक की वृद्धि करने का विचार रखती है। पत्तन अवसंरचना में सुधार लाए जाने हेतु किए जा रहे प्रयासों के साथ मौजूदा पत्तनों में कार्गो की हैंडलिंग, जहाजी कूली, जहाज चालक सेवाओं, बंकर सेवाओं एवं भांडागार सुविधाओं से संबंधित सुविधाओं का उन्नयन करने तथा भारतीय कार्गो के समुद्र पारीय लदान जोकि अन्यथा देश से बाहर किया जाता है की सुविधा देने हेतु ड्राफ्टों को बढ़ाए जाने एवं अलग-अलग पत्तन शुल्कों हेतु उचित व्यवस्था करने ताकि उसकी तुलना उत्तम प्रचलन से की जा सके, की आवश्यकता है। समुद्री कार्यसूची 2010-20 में इनमें से कुछ मुद्दों जैसे कार्गो हैंडलिंग एवं मूवमेंट का पूर्णरूप से यंत्रोकरण, प्रमुख पत्तनों में कम से कम तथा भारतीय मालवाहकों का विदेशी पत्तनों से भारतीय पत्तनों में समुद्र पारीय स्थानान्तरण को शामिल किया गया है।

स्थावर संपदा सेवाएं एवं आवासीकरण

10.36 स्थावर संपदा एवं आवासों का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5.9 प्रतिशत का हिस्सा है तथा 2011-12 में इस क्षेत्र में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्थावर संपदा सेवाओं के मामले में 2005-6 में 25 प्रतिशत से 2011-12 में 26.3 प्रतिशत की हुई निरंतर वृद्धि आकर्षित करनेवाली है। आवास मानव जीवन की मूल आवश्यकता तथा कृषि के उपरान्त रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। आवास क्रियाकलापों का लगभग 300 उप-क्षेत्रों जैसे विनिर्माण (इस्पात, सीमेंट एवं बिल्डिंगों का हार्डवेयर), परिवहन, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, व्यापार, वित्तीय सेवाएं एवं निर्माण के साथ अग्रगामी एवं पश्चगामी दोनों प्रकार की सम्बद्धता है जो पूंजी निर्माण, आय के अवसरों एवं रोजगार के सृजन में योगदान करते हैं।

10.37 2012-13 में प्रापटी के दाम संतुलित हुए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अनुसार अप्रैल-जून 2012 की तुलना में जुलाई-सितम्बर 2012 की तिमाही हेतु RESIDEX सूचकांक (2007 को आधार वर्ष लेते हुए 20 शहरों के लिए) में कुछ छोटे शहरों की आवासीय प्रापटी के दामों में साधारण कमी आयी जबकि अन्य शहरों में बढ़े दामों की संख्या काफी कम है। अप्रैल-जून 2012 की पूर्व तिमाही की तुलना में जुलाई-सितम्बर 2012 की तिमाही के दौरा 11 शहरों में थोड़ी सी कमी आयी जो फरीदाबाद में -0.4 प्रतिशत से लेकर सूरत में -4.8 प्रतिशत है तथा नौ शहरों में वृद्धि भी हुई है जो मुंबई में 0.5 प्रतिशत से लेकर कोच्चि में 10.1 प्रतिशत है। शहरीकरण के बढ़ने के मद्देनजर पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में आवास की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अनुमान के अनुसार शहरी इलाकों में 24.7 मिलियन इकाई आवास की आवश्यकता है जिसमें से 99 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/कम आय वाले समूह (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) खण्ड के लिए चाहिए। शहरी बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2012-17) के दौरान शहरी क्षेत्रों में 18.7 मिलियन इकाई आवास की आवश्यकता है जिसमें से 18.5 मिलियन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी खण्ड के लिए हैं। मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वहन योग्य आवास की मांग 38 मिलियन तक पहुंचेगी।

10.38 आवास एवं स्थावर सम्पदा क्षेत्र में वृद्धि के लिए कई संस्थाएं विशेषकर वित्त पोषण हेतु गठित की गई हैं। औपचारिक क्षेत्र में इस क्षेत्र की वित्तीय जरूरत को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवासीय फाइनेंसिंग कम्पनियां तथा विशिष्ट संस्थान पूरा करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा जहां औपचारिक क्षेत्र की जरूरतें पूरी होती हैं वहीं अनौपचारिक बाजार वर्ग को सामान्यतया कोई वित्त नहीं मिल पाया है। चूंकि यह अप्रयुक्त बाजार खण्ड महत्वपूर्ण है तथा बढ़ रहा है तो भारत सरकार शहरी गरीबों हेतु आवास के ब्याज सब्सिडी योजना तथा कम आय वालों हेतु क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास का गठन जैसे विभिन्न उपायों की घोषणा की है। उधार देनेवाली संस्थाओं के चलते पिछले वर्षों में आवास उधार में काफी वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप बाजार प्रवेश में वृद्धि हुई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एवं आवास वित्तीय कम्पनियां-प्रमुख संस्थानात्मक खिलाड़ियों के आवास ऋण पोर्टफोलियो मार्च 2012 की समाप्ति पर 6.10 लाख करोड़ रु. है। फिर भी आवास वित्तीय उपायों के सीमित होने के कारण आवास की मांग एवं पूर्ति के बीच अभी काफी अन्तर है। इसके अलावा भारत में गिरवी बाजार भी पूरी तरह से विकसित नहीं है। हालांकि सकल घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में गिरवी का प्रतिशत 2001 में 3.4% से 2011-12 में 3.4% तक बढ़ा है फिर भी यह हिस्सा बाकी देशों के हिस्सों से सापेक्षतया काफी कम है जैसेकि चीन (12%), थाईलैंड (17%), मलेशिया (29%), हांग-कांग (40%) एवं अमेरिका (65%) हिस्सा रखता है।

10.39 जहां अमेरिका जैसे विकसित देश संकट के दौर में विचलित हुए वहीं भारतीय बैंकों ने आवास क्षेत्र में उधार देने में काफी परिपक्वता का परिचय दिया। सरकार ने भी इस क्षेत्र हेतु अनेक नीतिगत उपाए किए हैं। केन्द्रीय बजट 2012-13 में वहन करने योग्य आवास को बढ़ावा देने के लिए कम लागत के वहनीय आवास परियोजना हेतु बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) वहनीय आवास परियोजना में खर्च हुए पूंजीगत व्यय की निवेश-सम्बद्ध कटौती में वृद्धि, आवासीय निवास से संबंधित निर्माण हेतु सेवा कर भुगतान से छूट तथा वहनीय आवास योजना के अंतर्गत 60 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक कम लागत वाली बहुआवास जैसे अनेक प्रोत्साहन दिए गए हैं। 01 मई, 2012 से एक क्रेडिट जोखिम गारंटी न्यास की स्थापना की गई है जिसका प्रबंधन एनएचबी द्वारा किया जाएगा तथा जो, उधार देनेवाली संस्थाओं द्वारा मंजूर एवं वितरित किए गए 5 लाख रु. तक के गृह ऋण तथा नए उधार लेने वालों

हेतु शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग में बिना किसी ऋणधार अथवा तीसरी पार्टी गारंटी के चूक गारंटी देगा। एनएचबी ने संयुक्त जोखिम वाली बंधक गारंटी कम्पनी-भारतीय बंधक गारंटी निगम प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की जो बंधक उधरदाताओं से आवासीय ऋण पर बंधक गारंटी देगा जिससे भारत में आवास मिले में सहायता मिलेगी। आवासीय ईकाइयों को किराए पर दिए जाने को उन सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है जिन पर सेवा कर के भुगतान पर छूट प्राप्त है। आवास की कमी का समाधान करने के लिए आवास को किराए पर देने को लाभप्रद विकल्प के रूप में बढ़ावा देने हेतु रणनीति पूर्ण नीति मध्यस्थता का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किराए वाले आवास के लिए एक कार्य दल की भी स्थापना की है। राजीव आवास योजना (रे) वहन करने योग्य आवासीय भण्डार के सृजन हेतु तथा झुग्गी में रहनेवालों को प्रॉपर्टी सौंपने हेतु राज्यों को मदद उपलब्ध कराती है।

10.40 भारत का आवास एवं स्थावर संपदा क्षेत्र अनेक चुनौतियों का सामना करता है। यद्यपि आवास एवं कार्य स्थल जरूरतों के संदर्भ में भारत शीर्षस्थ स्थान पर है किन्तु विश्व बैंक की 'डूईंग बिजनेस 2013' की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण की अनुमति प्रक्रिया के संबंध में इसका स्थान 182वां है। इसमें 34 प्रक्रिया विधियां शामिल है तथा औसतन 196 दिनों का समय लगता है जो विक्रय मूल्य को 40 प्रतिशत तक बढ़ाती है। जमीन के दामों में तीव्र वृद्धि, दीर्घकालिक फंडिंग का ना होना तथा निश्चित दरों पर बाजार उधार देना, सीमित डिवलेपर फाइनेंस, कुछ राज्यों में चल रहे शहरी भूमि उच्चतम सीमा विनियम अधिनियम (उल्ला), नगरों में मौजूदा निम्न तल क्षेत्र अनुपात, उच्च स्टाम्प शुल्क, तथा भूमि अधिग्रहण की कठिनाइयां आदि कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है। 'ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्ग में आवास की मांग बढ़ने की वजह से 'सभी के लिए वहनीय आवास' एक अन्य चुनौती है।

कुछेक कारोबारिक सेवाएं

10.41 कारोबारिक सेवाओं में भारत के राष्ट्रीय लेखा के अनुसार महत्व (शेयर) के क्रम में कम्प्यूटर संबंधित सेवाएं, अनुसंधान एवं

विकास (आर एंड डी), लेखा सेवाएं तथा विधिक सेवाएं एवं मशीनरी को किराए पर देना आदि शामिल होती है। भारत के स. घ.उ. में कारोबारिक सेवाओं का हिस्सा गत वर्षों में बढ़ा है तथा कुछ गतिशील सेवाएं भी हैं जिनकी संयुक्त वृद्धि दर 2011-12 में 13.5 प्रतिशत है, 2005-06, 2006-07 उषं 2008-09 के दौरान इनकी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु वैश्विक आर्थिक परिस्थिति के कारण अगले दो वर्षों में वृद्धि में कमी आयी।

आईटी एवं आईटीईएस

10.42 भारत की आईटी एवं आईटीईएस सेवाएं अत्यधिक वृद्धि के साथ एक अनूठी निर्यात-परिणीत सफल कहानी है जिसने भारत को विश्व मंच पर ला दिया है जहां भारत ने इस क्षेत्र में बैंड पहचान हासिल की है वहीं अन्य विकासशील देश भी भारत की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वृद्धि पर इसके प्रभाव (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के अलावा यह 2011-12 में भारत एवं विदेश दोनों जगह लगभग 2.8 मिलियन व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष रोजगार तथा 8.9 मिलियन के करीब के अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन कर दक्ष रोजगार का प्रदाता भी है। आईटी-आईटीईएस उद्योग के चार प्रमुख हैं: आईटी सेवाएं, कारोबार प्रक्रिया बाह्यस्रोतन (बीपीओ), इंजीनियरिंग सेवाएं, आर एंड डी, एवं सॉफ्टवेयर उत्पाद।

10.43 नास्कॉम के अनुसार वैश्विक मंदी ने आईटी-बीपीएम क्षेत्र के राजस्व को प्रभावित किया है जिसकी वृद्धि 2011-12 में 15% से 2012-13 में 95.2 यूएस \$ पहुंचते हुए अनुमानित 8.4% तक गिर गई। मुख्य निर्यात क्षेत्र की वृद्धि में (.80 प्रतिशत हिस्सा) में 2011-12 में 16.5 प्रतिशत से 2012-13 में 10.2 प्रतिशत तक की गिरावट आयी जबकि इन वर्षों के दौरान घरेलू राजस्व वृद्धि (मुद्रा प्रभाव के कारण) 9.7 प्रतिशत से 1.9 प्रतिशत तक गिर गई। भारतीय रूप के संदर्भ में घरेलू राजस्व 2011-12 में 16.6 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 14.1 प्रतिशत बढ़ा। 2013-14

सारणी 10.5 : आईटी-बीपीएम क्षेत्र का समग्र वृद्धि निष्पादन

वर्ष	मूल्य (बिलियन यूएस \$)						वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13E	2013-14P	2011-12	2012-13E	2013-14P
कुल आईटी-बीपीएम सेवाएं राजस्व	52.1	59.9	64.0	76.3	87.7	95.2	106-111	15.0	8.4	13-15
निर्यात	40.4	47.1	49.7	59.0	68.8	75.8	84-87	16.5	10.2	12-14
घरेलू	11.7	12.8	14.3	17.3	19.0	19.3	22-24	9.7	1.9	13-15

स्रोत: नास्कॉम

नोट: डाटा में हार्डवेयर शामिल नहीं है।

अनु: अनमानित

हेतु वृद्धि का नैस्कॉम का अनुमान कुल राजस्व हेतु 13-15 प्रतिशत, निर्यात हेतु 12-14 प्रतिशत तथा घरेलू क्षेत्र हेतु 13-15 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स.घ.उ. के हिस्से के रूप में आईटी एवं कारोबार प्रक्रिया संबंधी (बीपीएम) क्षेत्र के राजस्व 1997-98 में 1.2 प्रतिशत से 2012-13 में अनुमानित लगभग 8 प्रतिशत तक बढ़ा है। (सारणी 10.5)

10.44 वैश्विक मंदी, नए देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा विकसित देशों में नौकरी छुड़ने के कारण बढ़ते सुरक्षा उपायों ने आईटी एवं आईटीईएस सेवाओं के निर्यात की संभावनाओं को थोड़ा क्षीण कर दिया है किन्तु सरकार तथा लघु एवं मध्यम कारोबार (एमएमबी) क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने में हो रही वृद्धि के साथ भारत के घरेलू बाजार के लिए महान अवसर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सॉफ्टवेयर एवं सेवा क्षेत्र की शक्ति को काम में लाना है ताकि देश की प्रगति एवं वृद्धि विशेषकर निवेश, निर्यात, रोजगार सृजन एवं स.घ.उ. में योगदान देने के संदर्भ में तथा भारत को वैश्विक आईटी-बीपीओ गन्तव्य स्थान के रूप अग्रणी स्थान पर बनाए रखने, परिपक्व एवं उभर रहे दोनों प्रकार के बाजार में वृद्धि करने हेतु योगदान दिया जा सके। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी 2012 पर राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की है जिसका उद्देश्य देश द्वारा सामना किए जाने वाली आर्थिक एवं विकासपरक चुनौतियों

के समाधान में सहायता करने के लिए आईसीटी की शक्ति का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। राष्ट्रीय ई-अभिप्रशासन योजना (एनईजीपी) के तहत सरकार अपना ध्यान संकटकालीन सार्वजनिक सेवाओं को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित करती है। 31 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से 24 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन (22 एमएमपी तो शुरू भी हो गई है) दे दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर ये हैं: एमसीए 121, कंपनी कार्य मंत्रालय की पूर्णतः ई-अभिशासन परियोजना, पेंशन, आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, बैंकिंग बीमा, पासपोर्ट, ई-कार्यालय, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), एव यूआईडी, भारतीय डाक, अप्रवास वीजा, एवं विदेशियों का पंजीकरण एवं उनकी ट्रेकिंग। कम लागत के साथ विकासशील देशों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विकसित देशों में बढ़ती सुरक्षा भावना एवं अंतरण मूल्यन मुद्दे इस क्षेत्र के कुछेक मामले एवं चुनौतियां। (बॉक्स 10.3 देखें)

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

10.45 कारोबार सेवाओं में आर एंड डी की स्थान भारतीय स. घ.उ. में दूसरा है। गत कुछ वर्षों से इसकी वृद्धि लगातार 20% के करीब रही है तथा 2011-12 में इसकी वृद्धि 20.5 प्रतिशत थी। हाल तक आर एंड डी में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लगभग अनन्य रूप

बॉक्स 10.3 : भारत की आईटी एवं आईटीईएस सेवाओं की बढ़ती प्रतिस्पर्धा

आईटी एवं आईटीईएस क्षेत्र में कई विकासशील देशों के आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। जहां कम्प्यूटर एवं सूचना सेवा के निर्यात में तीसरे एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः भारत एवं यूएसए के बाद सबसे ज्यादा हिस्से के साथ यूरोप पहले स्थान पर है वहीं हालिया वर्षों में चीन, इजरायल एवं फिलीपीन्स जैसे नए प्रतियोगी भी सामने आए हैं। 2005 एवं 2011 के बीच कम्प्यूटर सेवाओं की औसत वार्षिक वृद्धि फिलीपीन्स की 69%, श्रीलंका की 28%, यूक्रेन की 59%, रूसी फेडरेशन की 27%, अर्जेंटीना की 37%, एवं कोस्टारिका की 35%, थी। यहां तक कि कुछ मामलों में निर्यात मूल्य के सापेक्ष रूप से कम होने पर भी इन अर्थव्यवस्थाओं में कम्प्यूटर सेवाओं की औसत वार्षिक वृद्धि शीर्ष निर्यातकों के औसत से काफी ऊपर है। बीपीओ क्षेत्र में, एशिया महाद्वीप में फिलीपीन्स, मलेशिया एवं चीन; उत्तरी अफ्रीका में मिस्र एवं मोरक्को; लैटिन अमेरिका में ब्राजील, मेक्सिको, चिली एवं कोलम्बिया तथा यूरोप में पोलैंड एवं आयरलैंड जैसे देश 'वॉयस कॉन्ट्रैक्ट' हेतु आकर्षक केन्द्र के रूप में उभरते हुए भारतीय फर्मों के लिए खतरा बन गए हैं। नास्कॉम के अनुसार गत पांच वर्षों में भारत का विश्व बीपीओ स्पेस में शेष दुनिया से लगभग 10 प्रतिशत बाजार शेयर का नुकसान हुआ है।

हालांकि चीन के सामने भी भाषा योग्यता जैसी चुनौती है पर चीन भाषा योग्यता को बढ़ाने हेतु अभियान के तौर पर बड़ी राशि में पैसा लगा रहा है और इस तरह से वह भारत का प्रतिद्वंदी बन सकता है। बहिर्घातन (आउटसोर्सिंग) के दूसरे बड़े केन्द्र के रूप में फिलीपीन्स वर्तमान में मूल्य बढ़ाने वाली मुद्रा की चुनौती का सामना कर रहा है परन्तु इसका द्वारा आईटी के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों वर्गों का विकास करने के कारण यह एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। यूएसए एव यूके जैसे अनेक विकसित देशों जो विभिन्न माध्यमों से स्थानीय बीपीओ उद्योग का समर्थन करते हैं बहिर्घातन उनके लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। उद्योग स्रोतों के अनुसार यूके का बीपीओ उद्योग 800,000 ब्रिटिश कर्मचारियों को रोजगार देता है तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभर रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय बीपीओ उद्योग को भी चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार होना चाहिए। विकसित अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वारा बहिर्घातन की जरूरत से जुड़े भ्रमों एवं आशंकाओं को दूर करने हेतु सूचना अभियान चलाया जाना चाहिए। भारत को सॉफ्टवेयर सेवाओं में 'वैल्यू चेन' भी शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही बड़े घरेलू क्षेत्र, जहां बड़े अवसर हैं तथा जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के कारण कम लागत भी ला सकते हैं। पर ध्यान दिया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शहरी बीपीओ स्थान में मेहनताना में हो रही वृद्धि के समाधान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख करने की आवश्यकता है जिसके लिए कौशल विकास तथा अमेरिकी एवं विभिन्न यूरोपीय उच्चारण के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: डब्ल्यूटीओ की रिपोर्टें तथा नास्कॉम एवं एक्जिम बैंक की निविष्टियों पर आधारित।

से विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ थी। हाल में, उभरते हुए देश आर एंड डी एवं नवोन्मेष के क्षेत्र में आगे बढ़ते आ रहे हैं जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी है। आर एंड डी निवेशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में लाने के काम में कम लागत, नए बाजारों तक पहुंच, ज्ञान-प्राप्त मानवशक्ति की उपलब्धता, उपयुक्त विनियामक माहौल एवं राजकोषीय लाभ ऐसे कुछ कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये देश विधिक, विनियामक एवं नीति समर्थन के माध्यम से नवोन्मेष को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

10.46 बैटेल एवं आर एंड डी पत्रिका द्वारा 2013 हेतु आर एंड डी पर वैश्विक सकल व्यय (जीईआर डी) 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स का अनुमान लगाया गया था जिसके पूर्व वर्ष की तुलना में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स से अधिक तक बढ़ने की आशा है। पीपीपी (क्रय शक्ति समानता) के संबंध में जीईआरडी में भारत का हिस्सा 3 प्रतिशत है जिसका अनुमान 45.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स लगाया गया है जो कि चीन से पांच गुणा कम है (सारणी 10.8)। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में भी यह काफी कम 0.9 प्रतिशत है। यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि आर एंड डी आधार का आकार एवं समावेशन क्षमता जरूरतों के अनुसार नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के आर एंड डी में आधारभूत अनुसंधान का हिस्सा 26 प्रतिशत, अनुप्रयुक्त अनुसंधान का 36 प्रतिशत, विकास अनुसंधान का 32 प्रतिशत एवं अन्य अनुसंधान 6 प्रतिशत अनुमानित है। आर एंड डी में सरकारी फंडिंग कुल फंडिंग की दो-तिहाई है। आर एंड डी में औद्योगिक योगदान लगातार बढ़ रहा है लेकिन अभी भी कुल के एक तिहाई से कम है। भारत में आर एंड डी हेतु सरकारी मदद के केन्द्र में सार्वजनिक आर एंड डी फंडिंग हेतु पुराने उद्देश्य होते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य एवं कृषि।

10.47 आईएनएसईएडी (इनसीड) एवं विश्व बुद्धिजीवी संपत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2012 के वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत का 64वां स्थान है। हालांकि बाजार की दुनियादारी, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निविष्टि एवं सृजनात्मक निविष्टियों के संबंध भारत का स्थान बेहतर है परन्तु संस्थानात्मक समर्थन, मानव पूंजी एवं अनुसंधान, नवाचार हेतु अवसरचना एवं कारोबार दुनियादारी के संदर्भ में अभी देश सापेक्षता कमजोर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2012-13 के अनुसार, भारत की नवाचार क्षमता रूस को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में कम है। हालांकि भारत वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गुणवत्ता में चीन, ब्राजील और रूस से बेहतर अंक अर्जक है, परंतु इन संस्थानों में किए गए अनुसंधान वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयोग में नहीं लाए जा रहे हैं। यह रूस को छोड़कर अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग पर इसके कम स्कोर से प्रदर्शित होता है। हालांकि भारत वैज्ञानिकों और इंजिनियरों की उपलब्धता में सभी ब्रिक्स देशों से बेहतर अंक अर्जक है, फिर भी जनसंख्या की तुलना में इसके पास प्रति मिलियन लोगों पर वैज्ञानिकों और इंजिनियरों का अनुपात न्यूनतम है। इस कमी का कारण गुणवत्ता-पूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की कमी है। रिपोर्ट का अनुमान है कि अत्यधिक बड़ा जनसंख्या आधार होते हुए भी, भारत में 2025 तक इंजिनियरों की 25% कमी होने की संभावना है। (सारणी 10.6)

10.48 2012-13 के बजट में, आर एंड डी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2012 से आगे पांच वर्ष की अवधि के लिए एक इन-हाऊस सुविधा में आर एंड डी व्यय के लिए 200 प्रतिशत की अति महत्वपूर्ण कटौती प्रदान की है। इस बजट में कृषि

सारणी 10.6 : भारत और अन्य चयनित देशों में अनु. और विकास संकेतक

देश	नवोत्पाद हेतु क्षमता		वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की गुणवत्ता		अनु. और विकास पर कंपनी के खर्चे		अनु. और विकास पर विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग		वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धता		प्रदत्त उपयोगिता पेटेंट/मिलियन जनसंख्या	
	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक	स्कोर	रैंक
भारत	3.5	42	4.4	39	3.5	37	3.8	51	5.0	16	1.2	63
चीन	4.1	23	4.2	44	4.1	24	4.4	35	4.4	46	6.5	38
द. अफ्रीका	3.5	41	4.6	34	3.5	39	4.5	30	3.4	122	6.8	37
ब्राजील	3.7	34	4.1	46	3.6	33	4.1	44	3.5	113	2.8	48
रूस	3.3	56	3.6	70	3.0	79	3.4	85	3.8	90	5.4	44
द. कोरिया	4.5	19	4.9	24	4.9	11	4.7	25	4.9	23	161.1	9
यूके	5.0	12	6.2	3	4.8	12	5.8	2	5.1	12	93.0	18
यूएसए	5.2	7	5.8	6	5.3	7	5.6	3	5.4	5	137.9	12

स्रोत: वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2012-13, विश्व आर्थिक मंच
टिप्पणी : पीसीटी-पेटेंट सहयोग संधि

अनुसंधान को पुरस्कारों के साथ प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रु० की राशि अलग से रखी है। भारत ने 2010-20 को 'नवाचार दशक' घोषित किया है सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को सहक्रियात्मक बनाने के लिए एक नीति-निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया है और राष्ट्रीय नवाचार परिषद भी स्थापित की है। इन उद्घोषणाओं के अनुकरण में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 घोषित की गई है। जीईआरडी को जीडीपी का 1% से भी कम के इसके मौजूदा स्तर से 2% तक बढ़ाना राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में रखा गया है।

विधि सेवाएं

10.49 वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक प्रत्येक वर्ष विधि सेवाएं 8.2% की सतत दर से बढ़ रही हैं। आज की स्थिति के अनुसार, भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत देशभर में लगभग 1.2 मिलियन पंजीकृत वकील, लगभग 950 विधि स्कूल और लगभग 4 से 5 लाख विधि के छात्र हैं। प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 60,000-70,000 विधि स्नातक विधि व्यवसाय में शामिल होते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट 2012-13 के अनुसार, भारत न्यायिक स्वतंत्रता के अनुसार 4.5 स्कोर के साथ 45वीं रैंक पर है जिसमें 2011-12 में 51वीं रैंक की तुलना में काफी सुधार आया है। जहां तक विवादों के निपटान में विधि ढांचे की दक्षता का संबंध है, भारत पिछले वर्ष की 64वीं रैंक की तुलना में इस बार 3.8 अंकों के साथ 59वीं रैंक पर है। भारत चुनौतीपूर्ण विनियमनों में विधि ढांचे की दक्षता के संबंध में 3.9 के स्कोर के साथ 52वीं रैंक पर है जबकि पिछले वर्ष इसकी 51वीं रैंक थी। हालांकि सभी तीनों पैरामीटरों में भारत की रैंक अधिकांश दक्षिण-एशियाई देशों और कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बेहतर है, फिर भी और सुधार की आवश्यकता है विशेषकर मुकद्दमों को निपटाने की गति बढ़ाने में। हमारे देश में आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप अपरिहार्य रूप से कानूनों और विनियमनों की स्थिति काफी जटिल हो गई है और यह महत्वपूर्ण है कि भारत भर के वकीलों की इस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साधनों तक पहुंच हो।

10.50 तथापि भारत में उदारतावाद और संबद्ध आर्थिक वृद्धि के कारण विधि की पद्धति में पिछले कुछ दशकों में काफी परिवर्तन आया है। औद्योगिकीकरण और एफडीआई के अंतःप्रवाहों के चलते, भारत में निगमित विधि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है और साथ ही विधि प्रक्रिया में आऊटसोर्सिंग (एलपीओ) में भी वृद्धि हुई है। भारत में कानून की पद्धति 1961 के अधिवक्ता अधिनियम द्वारा शासित होती है। इस अधिनियम के तहत, विदेशी कानून फर्मों को भारत में कानून पद्धति में शामिल होने की अनुमति नहीं है। अनेक विदेशी विधि फर्मों ने संपर्क (लाएज़न) कार्यालय (कानून के तहत हाल ही में अनुमत) स्थापित किए हैं, जबकि कुछ ने भारतीय फर्मों के साथ संदर्भात्मक संबंध स्थापित किए हैं। यह मानते हुए कि भारत अनेक अन्य क्षेत्रों में विदेशी प्रतिस्पर्द्धा में जाने के फलस्वरूप लाभान्वित हुआ है, और यह मानते हुए कि भारतीय

वकील विश्व भर में सेवाएं दे रहे हैं (नीचे देखें) भारत को चाहिए कि वह विदेशी विधि फर्मों को भारतीय बाजार में और अधिक पहुंच प्रदान करने के मार्ग तलाशे।

10.51 वैश्विक आर्थिक संकट से विकसित देशों में न केवल मंदी-आधारित मुकदमेबाजी बढ़ी है बल्कि लागत को कम करने के लिए विधि आऊटसोर्सिंग को भी बढ़ावा मिला है। भारत को विधि पेशेवरों की कम लागत (यूएसए और यूके की तुलना में 50 से 80% अधिक लागत प्रतिस्पर्द्धा), भौगोलिक लाभ (भारतीय समय जोन यूएसए और ब्रिटेन से बिल्कुल अलग है, जिससे चौबीसों घंटे विधि सेवाएं मिलनी संभव हैं), भाषा प्रवीणता (अंग्रेजी शिक्षा पर जोर), और विधि प्रणाली (जो कि यूएसए और यूके की विधि प्रणालियों से प्रेरित है) के मद्देनजर एलपीओ (विधि प्रक्रिया की आऊटसोर्सिंग) सर्वोत्तम गंतव्यों में से एक माना जाता है। प्रौद्योगिकी दृष्टि से भी भारतीय एलपीओ उद्योग ने इस ओर तीव्र गति से कदम बढ़ाए हैं क्योंकि भारतीय सेवा प्रदाता संचार प्रौद्योगिकी के उन्नत साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय विधि सेवा प्रदाता अनुसंधान दस्तावेजों की समीक्षाओं, दस्तावेजों के मसौदे तैयार करने, पैटेंट के लिए आवेदन तैयार करने और विभिन्न अर्द्धविधिक और प्रशासनिक कार्यों के रूप में विधि सहायता प्रदान करते हैं।

10.52 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन विधिक सहायक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने व इनका मूल्यांकन करने के लिए और इस अधिनियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीतियां और सिद्धांतों को तय करने के लिए किया गया है। निःशुल्क विधिक सेवाओं में न्यायालय की फीस, प्रक्रिया शुल्क, विधिक कार्यवाही में होने वाले अन्य खर्च, वकीलों की सेवाएं, विधिक कार्यवाही में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों को प्राप्त करना व इनकी आपूर्ति करना और अपील, पेपर बुक को तैयार करना इत्यादि शामिल हैं। लाभान्वितों में महिलाएं व बच्चे, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, औद्योगिक कामगार, निःशक्त व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, 1 लाख से कम आय वाले व्यक्ति, मानव तस्करी के पीड़ित या भिखारी और प्राकृतिक आपदा के पीड़ित शामिल हैं। प्रत्येक राज्य में, एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति गठित की गई है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा राज्य में लोक अदालतें संचालित करने के लिए 596 जिलों और 2037 तालुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। 1 अप्रैल 2012 से 31 अक्टूबर 2012 तक की अवधि के दौरान, देश में विधिक सहायता सेवाओं के माध्यम से 7.82 लाख से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 23000 व्यक्तियों से अधिक अनुसूचित जाति से और

लगभग 20,000 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते थे। 37,000 से अधिक महिलाएं और लगभग 5900 बच्चे भी लाभान्वित हुए। इस अवधि के दौरान, 54 हजार से अधिक लोक अदालतें गठित की गईं और इन लोक अदालतों ने 17.30 लाख से अधिक मकदूमों को निपटाया। विभिन्न लक्षित समूहों के बीच विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से नालसा द्वारा एक अर्द्धविधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) परियोजना विकसित की गई है। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, देश में 73,555 पीएलवी को प्रशिक्षित किया गया है और इन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है और ये आम आदमी और विधिक सेवा संस्थानों के बीच अंतर को पाट रहे हैं।

लेखाकरण और लेखा परीक्षा सेवाएं

10.53 लेखाकरण, लेखा परीक्षा और बुक-कीपिंग सेवाएं 'व्यावसायिक सेवाओं' (बिजनेस सेवाओं) का हिस्सा है। लेखाकरण सेवाएं 2005-06 से लगभग 6-7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं जो 2011-12 में यह वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत हो गई है। भारत में लेखाकरण व्यवसाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर भूमिका निभाने की संभावनाओं के साथ काफी उन्नत हो गया है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 2010 में भारत में 'अन्य व्यावसायिक सेवा' संबंधी निर्यात 44.5 बिलियन यूएस डालर था जिसमें विधिक, लेखाकरण, प्रबंधन और लोक संपर्क सेवा का 8.6 बिलियन यूएस डालर के मूल्य के साथ कुल हिस्सा 19.3% था। यह 39.1 बिलियन यू.एस. डॉलर के यू.एस. निर्यात से लगभग पांच गुना कम है और 22.8 बिलियन यू.एस. डॉलर के चीन के निर्यात से तीन गुणा कम है।

10.54 भारत में लेखाविधि सेवा प्रदाता द इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), द इन्स्टीच्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द इन्स्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) जैसी वैधानिक निकायों के समूह के माध्यम से स्व-विनियमित होते हैं। 27 दिसंबर 2012 की स्थिति के अनुसार, 53,197 सक्रिय चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्म हैं। भारतीय लेखाकरण फर्म उत्तरोत्तर रूप से एकीकृत हो रही हैं और अपनी लेखाकरण, लेखापरीक्षा और कर सेवाओं के प्रमुख व्यवसाय के साथ-साथ प्रबंधन परामर्श, निगमित वित्त, और सलाहकार सेवाओं जैसी संबद्ध सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आऊटसोर्सिंग मोड के माध्यम से घरेलू और निर्यात दोनों रूप में लेखाकरण और लेखापरीक्षा सेवाओं की उच्च संभाव्यता को देखते हुए, प्रतिभा निकाय को बढ़ाने, विशेषज्ञता में पैनापन लाने, और उच्च गुणवत्ता वाले लेखाविधि पेशेवरों के प्रवाह को बढ़ाने के लिए पेशेवर विकास ढांचे को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है। यूएस और अन्य विकासशील देशों के बीमांकन और लेखाविधि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आऊटसोर्सिंग बाजार में व्यापार बढ़ाना यूएस और अन्य देशों के कर, बीमा और पेंशन संबंधी कानूनों में उच्च गुणवत्ता वाले विशेषज्ञों की उपलब्धता और भारत में विदेशी फर्मों के सहायक कार्यालयों (बैंक ऑफिस) की स्थापना को बढ़ावा देने पर निर्भर करेगा। घरेलू फर्मों का विदेशी फर्मों के साथ गठजोड़

होने से विशेषज्ञता प्राप्त करने और बाजारों में पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो कि अन्यथा छोटी घरेलू लेखाविधि फर्मों के लिए एकल रूप में उपलब्ध नहीं होगी। इसमें कुछ घरेलू विनियमों में उदारता लाने और पारस्परिक मान्यता करारों (एमआरए) के माध्यम से भारतीय अर्हताओं के लिए सम्यक मान्यता प्राप्त करने की भी आवश्यकता होगी। विधिक सेवाओं के साथ, लेखाकरण सेवाओं में एफडीआई से भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने और इसको वैश्विक बाजारों से बेहतर ढंग से जोड़ने में मदद मिलेगी।

संचार सेवाएं

दूरसंचार और संबद्ध सेवाएं

10.55 दूरसंचार सेवाएं एक अन्य उभरता क्षेत्र है जिसमें भारत ने, केवल चीन के बाद, विश्व में दूसरे सबसे बड़े टेलीफोन नेटवर्क के साथ विशिष्ट दर्जा प्राप्त किया है। टेली घनत्व जो कि दूरसंचार अभिगम्यता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, मार्च 2007 में 18.22% से बढ़कर 31 दिसम्बर, 2012 को 73.34% हो गया है जिसमें शहरी टेलीघनत्व 149.55% और ग्रामीण टेलीघनत्व 39.90% है। (और अधिक विवरण के लिए देखें अध्याय 11)

डाक सेवाएं

10.56 डाक सेवाएं, जो समूचे विश्व में संचार का पारंपरिक साधन है, भारत में भी एक लोकप्रिय साधन रहा है विशेषकर ग्रामीण भारत में। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार देश में 1,54,822 डाकघरों के साथ डाक विभाग का विश्व में सर्वाधिक बड़ा नेटवर्क है। इनमें से 1,39,086 डाक घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 15,736 शहरी क्षेत्रों में है। औसतन प्रत्येक डाक घर 7,817 लोगों को सेवा प्रदान करता है और यह नेटवर्क लगभग 21.23 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र कवर करता है। नेटवर्क में विस्तार करने और डाक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय डाक फ्रैंचाइजी प्रारूप को भी अपना रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जहां डाक घर खोलना संभव नहीं था वहां इसने अब तक 1670 फ्रैंचाइजी आऊटलेट खोल दिए हैं। डाक विभाग ने भारतीय डाक को एक व्यापक और उत्तरदायी संगठन में परिवर्तित करने के लिए एक गुणवत्ता सुधार पहल के रूप में 'प्रोजेक्ट एरो' की शुरुआत की है।

10.57 निजी क्षेत्र द्वारा दी गई कूरियर सेवाओं और दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे संचार के वैकल्पिक साधनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण डाक सेवा ई-कॉमर्स, बी से सी पता/पतों का सत्यापन, वेब आधारित धन-प्रेषण, एमटूएम धन अंतरण, सामाजिक सुरक्षा संचितरण और अन्य सामाजिक क्षेत्र संबंधी क्रियाकलाप जैसे नए क्षेत्रों की ओर जा रहा है। पहले ही विद्यमान तत्काल धन आदेश (मनी आर्डर) के अतिरिक्त, डाक विभाग ने चार सर्किलों नामतः केरल, बिहार, दिल्ली और पंजाब प्रत्येक में 18 चुनींदा डाक घरों में 15 नवंबर, 2012 को मोबाइल पर धन प्रेषण की सेवाएं प्रारंभ की हैं। डाक विभाग को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा स्कीम) के लाभार्थियों को डाक घर के बचत बैंक खातों के माध्यम से पारिश्रमिक संचितरित करने का

बॉक्स 10.4 : भारत में कुछ सेवाओं में घरेलू प्रतिबंधों और विनियमों की निर्देशात्मक सूची

सेवाओं में एक बड़ा मुद्दा घरेलू बाधाओं और विनियमों का है। डब्ल्यूटीओ की सख्त शर्तों के अनुसार घरेलू विनियमों में लाइसेंसिकरण संबंधी आवश्यकताएं, लाइसेंसिकरण की प्रक्रिया, अर्हता संबंधी आवश्यकताएं, अर्हता संबंधी प्रक्रियाएं और तकनीकी मानक शामिल हैं परन्तु वहां अन्य प्रतिबंधों और बाधाओं पर भी विचार किया गया। चूंकि हमारे प्रमुख बाजारों में अनेक घरेलू विनियम हैं जो हमें बाजार की अभिगम्यता से वंचित कर देते हैं और इसलिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तरों पर इन पर बातचीत की जानी आवश्यक है, भारत में अनेक घरेलू विनियम भी हैं जो इस क्षेत्र की वृद्धि के मार्ग को बाधित करते हैं। चूंकि घरेलू विनियम सेवाओं के विनियमन में प्रशुल्कों की भूमिका निभाते हैं, भारत में उन घरेलू विनियमों की सूची तैयार करने की आवश्यकता है जिन्हें क्षेत्र की वृद्धि और इसके निर्यातों की मदद के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है, जबकि उन्हें बनाए रखना जो इस स्तर पर क्षेत्र को विनियमित करने के लिए आवश्यक हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण घरेलू विनियम जिनकी उपयुक्त नीतिगत सुधारों के लिए जांच की जाने की आवश्यकता है, इनकी निर्देशात्मक सूची निम्नानुसार है:

व्यापार और परिवहन सेवाएं: इन क्षेत्रों की कुछ बाध्यताओं में समान की अंतरराज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध शामिल है जिसे अनेक राज्यों द्वारा कृषि उपज और विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम के प्रतिरूप को अपनाकर उदार बनाया जा सकता है; मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 जिसमें संशोधन की आवश्यकता है ताकि परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से यातायात और प्रलेखन पर मौजूदा प्रतिबंधों, विशेषकर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंध जिनके कारण सामान की निर्बाध आवाजाही की अनुमति नहीं है, को उदार बनाया जा सके; अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी), कन्टेनर मालभाड़ा स्टेशनों (सीएफएस) और बंदरगाहों के बीच पोतभार को निशुल्क लाने ले जाने पर प्रतिबंध।

विनिर्माण: विनिर्माण क्षेत्र में, कुछ राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और पश्चिम बंगाल जिन्होंने नगर भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम (यूएलसीआरए) को निरस्त नहीं किया है वहां यूएलसीआरए के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधों के निरंतर बने रहने और अन्य राज्यों द्वारा नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरस्तीकरण अधिनियम 1999 को पास करके यूएलसीआरए को निरस्त किए जाने के बाद भी भवनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यक प्रक्रिया में भ्रांति के कारण मार्गावरोध बने हुए हैं। भूमि अधिग्रहण नीति में राज्यों की मददगार के रूप में भूमिका भी स्पष्ट नहीं होने के परिणामस्वरूप न्यायिक मुकद्दमें/बाजी के मामलों की संख्या बढ़ी है जिसके साथ ही बिल्डरों/परियोजनाओं की प्रोफाइल भी जोखिमपूर्ण हो जाती है इसके परिणामस्वरूप ऋणदाता भी इस तरह के बिल्डरों/परियोजनाओं को वित्त पोषण देने से बचते हैं। अनेक राज्यों में तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) पर भी प्रतिबंध हैं; और उपविधि/विनियमों को लागू करने और इसमें दी गई छूटों जैसे अन्य प्रतिबंध हैं, यथा-एफएआर को बढ़ाना जो कि परियोजना से परियोजना भिन्न-भिन्न हैं और कभी-कभी भेदभावपूर्ण हैं।

लेखाविधि सेवाएं: जबकि लेखाविधि के पेशेवरों को अब तक या तो साझेदार फर्म के रूप में या अकेले मालिक फर्म के रूप में या अपने ही नाम पर प्रचालन करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि भारतीय विनियमों के तहत एक फर्म के अधीन 20 से अधिक पेशेवरों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है, सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) के गठन के आने से इस अवरोध को दूर किए जाने की संभावना है। तथापि, प्रति साझेदारी कंपनी की वैधानिक लेखापरिक्षाओं की संख्या 20 तक सीमित की गई है। इस क्षेत्र में एफडीआई की भी अनुमति नहीं है और विदेशी सेवा प्रदाताओं को भारत में कानूनों के उपबंधों के अनुसार कंपनियों की वैधानिक लेखापरीक्षा करने की अनुमति नहीं है। फ्रैंचाइजिंग पर प्रतिबंध और साझेदारी तथा एकल स्वामित्व लेखाकरण फर्मों के लिए एकल लोगों का प्रयोग करना जैसे कुछ अन्य घरेलू विनियम हैं। आऊसोर्सिंग पद्धति द्वारा इन सेवाओं के निर्यात की संभाव्यता को देखते हुए इन विनियमों को उदार और सुप्रवाही बनाने की आवश्यकता है ताकि विदेशी बाजारों से गठजोड़ बनाने और इनमें पहुंच बनाने का कार्य सरल हो सके।

विधि सेवाएं: विधि सेवाओं में एफडीआई की अनुमति नहीं है और अंतरराष्ट्रीय विधि फर्मों को भारत में विज्ञापन देने और कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है। विदेशी सेवा प्रदाताओं को न तो साझेदारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता और न ही वे विधि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा न ही अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बार परिषद में किसी भी तरीके से विदेशी वकीलों/विधि फर्मों में प्रवेश का विरोध किया जाता है। भारतीय अधिवक्ताओं को भारतीय अधिवक्ताओं से इतर व्यक्तियों के साथ लाभ-हिस्सेदारी संबंधी व्यवस्थाओं में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं है।

शिक्षा सेवाएं: ये सेवाएं केंद्र और राज्य सरकारों तथा संवैधानिक निकायों द्वारा लगाए गए अनेक नियंत्रणों और विनियमों के साथ समसूची के अंतर्गत आती हैं। चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के लिए न्यूनम 25 एकड़ भूमि होने संबंधी विनियम के परिणामस्वरूप दिल्ली जैसे शहरों में भी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने पर प्रतिबंध है। नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने से संबंधित रोगी संख्या कारक संबंधी विनियमों को भी वर्तमान उपस्कर-रोगी गहन चिकित्सा और आधुनिक पद्धतियों तथा चिकित्सीय शिक्षा की प्रणालियों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।

स्रोत: डा० एच०ए०सी० प्रसाद और आर सतीश (2010) के अनुसार, संबंधित विभागों और संस्थाओं से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के साथ 'भारत के सेवा क्षेत्र के लिए नीति' आधार पत्र 2010 डीईए

उत्तरदायित्व भी दिया गया है। फिलहाल, मनरेगा स्कीम के पारिश्रमिकों को 96895 डक घरों में खुले 5.55 करोड़ नरेगा स्कीम के खातों के माध्यम से संचित किया जाता है।

चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवंबर 2012) के दौरान 9,812 करोड़ रु० की कुल राशि का पारिश्रमिक संचित किया गया है।

महिलाओं को पेंशन और सशर्त नकदी हस्तांतरण जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत हितलाभों के संचितरण में भी डक घरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। डक घरों की अति व्यापक पहुंच का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आकलन करने के लिए आंकड़े संग्रहित करने के लिए भी

किया जा रहा है। जबकि डाक क्षेत्र क्रियाकलापों के नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है, न केवल इसको कुछ परंपरागत क्रियाकलापों और क्षेत्रों में अपनी भूमिका को छोड़ना होगा बल्कि अपने आकार को भी छोटा करना होगा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए भौतिक और मानव दोनों संसाधनों को निर्मुक्त करना होगा।

चुनौतियां और संभावनाएं

संभावनाएं

10.58 सतत रूप से बढ़ रहे सेवा क्षेत्र की वृद्धि 2008 के संकट के बाद की अवधि के दौरान भी नहीं गिरी। यह प्रमुखतः उच्च भारत सामुदायिक, समाजिक और निजी सेवाओं पर सरकार के उच्चतर खर्चों के कारण हुआ, इन खर्चों की दर 2008-09 में 19.8% और 2009-10 में 17.6% रही जो कि 2007-08 की दर से अधिक रही और 2006-07 की दर से लगभग आठ से दस गुणा अधिक रही। साथ ही इसे अन्य दो प्रमुख क्षेत्रों 'वित्तीय, बीमा, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवा' तथा 'यातायात, भंडारण और संचार' में अच्छी वृद्धि का समर्थन मिला। जबकि संकट से पहले 'व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट' के साथ-साथ ये दो क्षेत्र वृद्धि के प्रमुख रूप से बढ़े भागीदार थे, परंतु संकट के वर्षों 2008-09 और 2009-10 के दौरान 'सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा' ने सेवा क्षेत्र की वृद्धि को स्थायित्व देने में बेहतर भूमिका निभाई। तथापि, वर्ष 2010-11 में इन सेवाओं की वृद्धि घट गई और लोक प्रशासन और रक्षा सेवाओं की वृद्धि में मंदी के कारण यह 2011-12 में कम थी। यह, व्यापार (आंतरिक और बाह्य) की निम्नतर वृद्धि के साथ यातायात और संबद्ध क्रियाकलापों की वृद्धि में गिरावट में प्रतिबिंबित होती है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में सापेक्ष रूप से कम वृद्धि हुई और यहां तक कि विनिर्माण में वृद्धि भी कम रही। वर्ष 2011-12 में, विस्तृत सेवाओं के उप-क्षेत्रों में कुल जीडीपी वृद्धि में 34.0% (2012-13 में 32.6%) के साथ उच्चतम भागीदारी 'वित्तपोषण, बीमा, भू-संपदा और व्यवसायिक सेवाओं' की थी इसके बाद 'व्यापार, होटल, और रेस्टोरेंट' (16.9%), की भागीदारी आती है। वर्ष 2012-13 में, 'व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट' में वृद्धि और 'वित्तपोषण, बीमा, भूसंपदा और व्यावसायिक सेवाओं' में मंदी होने पर, समग्र सेवाओं की वृद्धि भी मंद रही।

10.59 आने वाले वर्षों में आगे पोत परिवहन क्षेत्र बाह्य व्यापार में गिरावट के कारण हानि की स्थिति में बना रहेगा और उड्डयन क्षेत्र कुछ एयरलाइनों में समस्याओं के अचानक प्रस्फुटन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एमटीए में वृद्धि के मध्यम रहने और परिणामी एसईई के कारण पर्यटन और संबद्ध सेवाओं जैसे होटल उद्योग में वृद्धि मध्यम रहने की संभावना है। दूसरी ओर मौद्रिक और साख नीतियों में हल्की छूट सहित नियमित अंतरालों पर सुधारात्मक उपायों की हाल ही की घोषणाओं से खुदरा, विनिर्माण और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में बेहतर निष्पादन की उम्मीद है। वैश्विक आर्थिक स्थिति में थोड़े से सुधार के साथ ही, सॉफ्टवेयर, वित्तीय और मौसमी व्यावसायिक सेवाओं से भी बेहतर निष्पादन की उम्मीद है। सामुदायिक और सामाजिक व्यय में कोई बड़ी कटौती नहीं होने

की प्रत्याशा में सेवा क्षेत्र की वृद्धि की प्रतिपूर्ति हो सकती है, तथापि अधोगामी जोखिम वैश्विक आर्थिक स्थिति के लिए अधोमुखी हो सकते हैं।

चुनौतियां

10.60 असंख्य क्रियाकलापों और क्षेत्रों को कवर करने वाले सेवा क्षेत्र के लिए तत्काल चुनौती वृद्धि का पुनरुद्धार है। भारत की वृद्धि बुनियादी रूप से, अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि को प्रभावित करने वाली सेवा-संचालित वृद्धि है। जबकि यह वृद्धि व्यावसाय-बदस्तूर-एप्रोच के माध्यम से हो सकती है, बड़ी मूल्य वाली सेवाओं (बिग-टिकट) पर अधिक ध्यानाकर्षण के साथ और अधिक लक्षित एप्रोच अपना कर अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जबकि सॉफ्टवेयर और दूरसंचार सेवाओं ने मिसाल प्रस्तुत की है, मेडिकल पर्यटन और पोत परिवहन और लोजिस्टिक्स सहित पर्यटन जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं भी हैं। पर्यटन एक बड़ी मूल्य वाली मद है जो न केवल उच्चतर बल्कि और अधिक व्यापक वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। वर्ष 2010 से 2030 तक प्रति वर्ष औसतन 43 मिलियन विदेशी पर्यटकों की संभावित बढ़ोतरी और एफटीए का उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरते देशों में अधिक तेजी से बढ़ने की प्रत्याशा में, भारत के लिए पर्यटन के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अवसर प्रतीक्षित है, जिसका फिलहाल विदेशी पर्यटक आगमन में 0.64% का मामूली सा हिस्सा है। भारत के विभिन्न प्रकार के मौसमों और विभिन्न प्रकार के पर्यटकों की जरूरतों के अनुरूप गंतव्यों की एक वर्गीकृत सूची है। तथापि, पीपीपी मोड के माध्यम सहित पर्यटन अवसररचना में उच्चतर निवेश के साथ भारतीय पर्यटन की छवि बदलने की आवश्यकता है। यदि स्मारकों या पर्यटन स्थलों को निजी क्षेत्र या पीपीपी के माध्यम से विकसित किया जाता है तो प्रयोक्ता प्रभार भी लिए जा सकते हैं। राज्यों द्वारा होटलों पर विलास संबंधी उच्च करों जैसे मुद्दों को निपटाने और पर्यटकों के लिए और अधिक स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र को और आर्थिक बढ़ावा दिए जाने में मदद मिलेगी। वेट को वापस करने, जैसाकि थाइलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में किया गया है, से भी वस्त्र और चमड़ा विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभावों के साथ पर्यटन क्षेत्र काफी लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि इससे उन मर्दों की खरीद में वृद्धि होगी जिनमें भारत मूल्य-प्रतिस्पर्धी है। पोत परिवहन सेवाएं अन्य प्रमुख बड़ा क्षेत्र है जहां वृद्धि प्रभाव ऊंचा रह सकता है। चूंकि भारत के विदेशी पोतभार में पोत परिवहन सेवाओं का हिस्सा वर्ष 1980 में 40% से गिरकर वर्ष 2010-11 में मात्र 8% रह गया है, अतः भारत के पुराने पड़ चुके जहाजी बेड़े का संवर्धन आवश्यक है। चूंकि वैश्विक मूल्य अपने न्यूनतम स्तर पर है, इस तरह की खरीद के लिए यह उपयुक्त समय है जिससे पोत परिवहन सेवाओं, जिनका निर्यात क्षेत्र में भी अग्रगामी संयोजन प्रभाव है, के माध्यम से भविष्य में और अधिक विदेशी धन के अर्जन/बचत में सहायता मिल सकती है और विदेशी जहाजों के साथ हमारी मोल-तोल करने की क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। अति विशिष्ट स्वास्थ्य-सुरक्षा अन्य संभाव्य क्षेत्र है जिसमें भारत गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने वाले सर्वाधिक सस्ते गंतव्यों में से एक है।

10.61 अन्य बड़ी चुनौती उन सेवाओं में हमारे प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रखने और विस्तार देने की है जहां हमने पहले ही अपनी

छाप छोड़ रखी है। सेवाओं में लाभ की वर्तमान स्थिति हमेशा नहीं बनी रह सकती क्योंकि अन्य विकासशील देशों से नए प्रतिस्पर्धी तेजी से बढ़ रहे हैं जहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां हमारे पास प्रारंभिक लाभ की स्थिति थी जैसेकि सॉफ्टवेयर सेवाओं के मामले में। सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी स्थापित सेवाओं को नए बाजारों में और अधिक विस्तार देने और इन सेवाओं के घरेलू स्तर पर और अधिक प्रयोग को बढ़ाने से न केवल सेवाओं की वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है बल्कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के प्रयोग से इन क्षेत्रों की दक्षता में पैनापन लाकर अन्य क्षेत्रों की वृद्धि को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

10.62 घरेलू विनियमों को हटाना या इन्हें उदार बनाना तीसरी चुनौती है। जबकि अन्य देशों में घरेलू विनियमों के रूप में बाजार की बाधाओं को हटाना बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बातचीत पर निर्भर

करता है, घरेलू स्तर पर विभिन्न सेवाओं पर लगे असंख्य प्रतिबंधों और विनियमों जैसेकि बॉक्स 10.4 में इंगित किया गया है, पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हें हटाने या उदार बनाने से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अति उत्साहजनक लाभ का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

10.63 सेवा क्षेत्र एक अथाह समुद्र है जिसमें अनेक अति कठिन चुनौतियों के साथ-साथ अनेक रोमांचकारी अवसर भी विद्यमान हैं। सरकारी और सामाजिक क्षेत्रों की सेवाओं सहित अनेक गैर-व्यापारिक सेवाएं अब घरेलू रूप से व्यापारिक हो गई हैं, राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सीमित (जैसे टेलीमेडिसिन) अनेक सेवाएं अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक हो गई हैं। विविध सेवा क्षेत्रों की चुनौतियों को दूर करने और नए अवसरों से लाभ उठाने से सेवा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ प्राप्त हो सकते हैं।